00201

सत्यमेव जयते

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

©
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
2008

www.cag.gov.in
मुद्रकः राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों और वास्तविक आँकड़ों में अन्तर	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.4	6
कर निर्धारणों में बकाया	1.5	7
कर का अपवंचन	1.6	8
राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग	1.7	8
प्रतिदाय	1.8	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	9
जवाबदेयता लागू करने एवं शासकीय हित के बचाव में वरिष्ठ कार्मिकों की असफलता	1.10	9
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.11	10
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.12	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति	1.13	12
स्वीकार किये गये प्रकरणों में राजस्व की वसूली	1.14	12
अधिनियमों/नियमों में संशोधन	1.15	13
अध्याय-II : बिक्री कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	14
अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण	2.2	15
शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना	2.3	16
संग्रहण के ठेके को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण राजस्व की हानि	2.4	17
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.5	18
प्रवेश कर का अनारोपण	2.6	18

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-III : मोटर वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	20
एकबारीय कर की अवसूली	3.2	21
विशेष पथकर एवं शास्ति की अवसूली	3.3	21
भार वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली	3.4	22
यात्री वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर नहीं लगाना	3.5	22
संविदा वाहनों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/ कम वसूली	3.6	23
मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथकर की अवसूली/ कम वसूली	3.7	24
डम्परों/टिप्परों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर की अवसूली/ कम वसूली	3.8	25
एक मुश्त कर का कम आरोपण	3.9	25
निजी सेवा वाहनों से कर की अवसूली	3.10	26
अध्याय-IV : भू-राजस्व एवं विद्युत कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	27
अ. भू-राजस्व		
उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का आवंटन एवं विक्रय	4.2	28
दूर संचार विभाग को आवंटित भूमि के मूल्य का कम आरोपण	4.3	38
अर्थदण्ड का अनारोपण	4.4	39
भूमि की कीमत का कम आरोपण	4.5	39
ब. विद्युत कर		
विद्युत कर का कम आरोपण	4.6	41
अध्याय-V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	43
लोक कार्यालयों द्वारा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण	5.2	44
सम्पत्ति के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.3	46
पट्टा विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.4	47
डवलपर इकरारनामों का अपंजीयन	5.5	47

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-VI : राज्य आबकारी शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	48
भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क का कम आरोपण	6.2	49
कम्पोजिट दुकानों पर अनुज्ञा शुल्क का कम आरोपण	6.3	50
आबकारी शुल्क के अन्तर तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क की कम वसूली	6.4	50
अनुज्ञा हस्तान्तरण शुल्क का कम आरोपण	6.5	51
अध्याय-VII : कर-इतर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	52
अ. सामान्य प्रशासन विभाग		
राजस्थान के पूर्व शासकों से प्राप्त नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं निस्तारण	7.2	53
ब. खान एवं भू-विज्ञान विभाग		
बिना रवन्ना के संप्रेषित खनिज की लागत की अवसूली	7.3	66
अधिशुल्क की मांग कायम न करना	7.4	67
ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत उत्खनन	7.5	67
प्रीमियम प्रभारों की अवसूली	7.6	68
अनियमित वापसी	7.7	69
विकास प्रभारों की मांग कायम न करना	7.8	69
नियमों में कमियों के कारण राजस्व की हानि	7.9	70
संविदा की अनियमित समाप्ति के कारण राजस्व की हानि	7.10	71
अनुमति शुल्क की कम वसूली	7.11	71
स. सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग		
सरकारी खातों में राजस्व का जमा नहीं होना	7.12	72
तीन वर्षो से अधिक अदावी जमाओं को राजकीय राजस्व में जमा नहीं कराना	7.13	72

प्रस्तावना

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य की बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क तथा अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2007-08 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 39 अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनमें 666.55 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2006-07 में 25,592.18 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 30,780.62 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व 13,274.73 करोड़ रुपये तथा कर-इतर राजस्व 4,053.93 करोड़ रुपये को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि 17,328.66 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार से प्राप्तियां 13,451.96 करोड़ रुपये (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भागः 8,527.60 करोड़ रुपये तथा सहायतार्थ अनुदानः 4,924.36 करोड़ रुपये) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 56 प्रतिशत एकत्रित कर सकी। वर्ष 2007-08 के दौरान कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (7,345.84 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (1,805.12 करोड़ रुपये), मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क (1,544.35 करोड़ रुपये), वाहनों पर कर (1,164.40 करोड़ रुपये) तथा अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (1,226.61 करोड़ रुपये) थे।

(अनुच्छेद 1.1)

वर्ष 2007-08 के अन्त में राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के अंतर्गत कुल 4,026.12 करोड़ रुपये राजस्व की बकाया अवसूल रही। ये बकाया मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग, विविध सामान्य सेवाऐं-भूमि की बिक्री, वृहद एवं मध्यम सिंचाई, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर तथा पुलिस से सम्बन्धित थी।

(अनुच्छेद 1.4)

वर्ष 2007-08 के दौरान बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी, तथा अन्य कर-इतर प्राप्तियों के अभिलेखों की मापक जाँच से 18,543 प्रकरणों में, 1,118.41 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 10,771 प्रकरणों में अन्तर्निहित 130.17 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें से 35.67 करोड़ रुपये अन्तर्निहित के 4,177 प्रकरण वर्ष 2007-08 में तथा शेष पूर्व के वर्षो के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर विभागों ने वर्ष 2007-08 के दौरान 2,983 प्रकरणों में 18.57 करोड़ रुपये की वसूली की।

(अनुच्छेद 1.9)

विभागों/सरकार ने वर्ष 2002-03 से 2006-07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 692.72 करोड़ रुपये अन्तर्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से सितम्बर 2008 तक 108.70 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गये।

(अनुच्छेद 1.14)

II. बिक्री कर

चार औद्योगिक इकाईयों द्वारा शर्त के उल्लंघन पर, कर मुक्ति लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप 16.83 करोड़ रुपये के कर एवं ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.3)

कर संग्रहण ठेके को अन्तिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप 56.53 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.4)

कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप चार इकाईयों पर 33.19 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

राज्य के बाहर से कागज खरीदने पर प्रवेश कर एवं ब्याज के कुल 7.13 लाख रुपये कम आरोपित हुये।

(अनुच्छेद 2.6)

III. मोटर वाहनों पर कर

584 संनिर्माण उपस्कर वाहनों के स्वामियों से एकबारीय कर के 4.11 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.2)

पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि में संचालित पाये गये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 100 वाहनों (मंजिली) पर विशेष पथ कर एवं शास्ति की राशि 3.65 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3)

1,279 भार वाहनों के स्वामियों से मोटर वाहन कर तथा विशेष पथ कर के 1.97 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.4)

बिना अनुज्ञापत्र वाले 241 यात्री वाहनों के स्वामियों से मोटर वाहन कर के 1.81 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.5)

IV. भू-राजस्व एवं विद्युत कर

'उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का आवंटन एवं विक्रय' की समीक्षा से निम्न प्रकट हुआः

- सरकारी भूमि के आवंटन के लिए विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए समय सीमा के अभाव के परिणामस्वरूप 64,847 आवेदन पत्र अनिस्तारित रहे।

(अनुच्छेद 4.2.9.1)

- अस्थायी कृषि-कर्म पट्टा धारकों को स्थायी रूप से 35.81 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि का आवंटन नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व की अप्राप्ति रही।

(अनुच्छेद 4.2.10)

- विभाग ने 45,524 आवंटियों से भूमि की कीमत की वसूली के लिए निश्चित किश्तों की न तो वसूली की और न ही भूमि के आवंटन आदेशों को निरस्त किया। इसके परिणामस्वरूप कुल 139.56 करोड़ रुपये के राजस्व की अप्राप्ति रही।

(अनुच्छेद 4.2.12)

- 24.57 करोड़ रुपये मूल्य की 38,625.56 बीघा सरकारी भूमि के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि यह 12,069 अतिचारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से उपयोग में ली गयी थी।

(अनुच्छेद 4.2.16.1)

दूरसंचार विभाग को जालौर में 1.61 हैक्टेयर सरकारी भूमि वाणिज्यिक दर के स्थान पर कृषि भूमि की दर पर आवंटन करने के परिणामस्वरूप 15.38 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

तीन विद्युत वितरण कंपनियों से संशोधित दरों के स्थान पर संशोधन पूर्व की दरों से विद्युत कर की वसूली के परिणामस्वरूप 21.49 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.6)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

कंपनियों की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि के कारण 1,684 प्रकरणों में 54.22 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर का कम आरोपण ज्ञात हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.1)

कंपनियों के समामेलन से संबंधित दस्तावेजों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप 1.56 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अप्राप्ति रही।

(अनुच्छेद 5.2.2)

150 कस्टमस् बॉण्डों पर 1.36 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.3)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

अद्धों एवं पव्वों में आपूर्त की गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री पर 26.71 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 6.2)

66 कम्पोजिट दूकानों के अनुज्ञाधारकों की कम्पोजिट दूकानों के लिये 1.45 करोड़ रुपये का अनुज्ञा शुल्क कम आरोपित हुआ।

(अनुच्छेद 6.3)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

सामान्य प्रशासन विभाग

'राजस्थान के पूर्व शासकों से प्राप्त नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवम् निस्तारण' की समीक्षा में निम्न प्रकट हुआः

- नजूल सम्पत्तियों की वास्तविक संख्या और स्थिति को सुनिश्चित करने हेतु सर्वे करने के लिए कोई व्यवस्था/ प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। राज्य से बाहर स्थित 66.57 करोड़ रुपये मूल्य की 1,263 नजूल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में 33.28 करोड़ रुपये के किराये की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.2.6)

- जिला कलेक्टरों द्वारा संधारित सम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं निस्तारण की मानिटरिंग करने के लिए सम्पदा निदेशक द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.2.7)

- सम्पदा निदेशक एवं जिला कलेक्टरों के अभिलेखों में 172 सम्पत्तियों का अता पता और अस्तित्व में होना नहीं पाया गया, जिनमें से 53 सम्पत्तियों का मूल्य 21.25 करोड़ रुपये था।

(अनुच्छेद 7.2.7.1)

- मांग व संग्रहण पंजिका के अभाव में विभाग ने 1109 किरायेदारों के विरूद्ध बकाया किराये एवं ब्याज की राशि 37.72 करोड़ रुपये की मांग कायम नहीं की।

(अनुच्छेद 7.2.8.1)

- 253 रिक्त नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण के कोई प्रयास नहीं किये गये, जिनमें से 218 सम्पत्तियों का मूल्य 14.84 करोड़ रुपये था।

(अनुच्छेद 7.2.9)

- न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश पारित होने के उपरान्त भी 24.29 करोड़ रुपये मूल्य की 32 सम्पत्तियों सहित 41 सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.2.11)

- केन्द्र सरकार के कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों के कब्जे वाली 99 सम्पत्तियों, जिनका मूल्य 14.84 करोड़ रुपये था, से न तो किराये एवं ब्याज की राशि 9.41 करोड़ रुपये की वसूली की गई न ही इन सम्पत्तियों को निस्तारित किया गया।

(अनुच्छेद 7.2.12)

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

बिना रवन्ना के खनिज के प्रेषण के परिणामस्वरूप खनिज की कीमत की अवसूली से 13.71 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.3)

अधिशुल्क की मांग कायम न करने के परिणामस्वरूप 7.77 करोड़ रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

अधिक/अनाधिकृत उत्खनन पर खनिजों की कीमत राशि 3.42 करोड़ रुपये प्रभार्य नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 7.5)

स्वीकृत मात्रा से 10 और 25 प्रतिशत के मध्य अधिक उत्खनन पर, नियमों में कमियों के कारण, सरकार 25.86 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रही।

(अनुच्छेद 7.9)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान तथा गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गये हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
I.	**राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	7,246.18	8,414.82	9,880.23	11,608.24	13,274.73
	• कर-इतर राजस्व	2,071.64	2,146.15	2,737.67	3,430.61	4,053.93
	योग	**9,317.82**	**10,560.97**	**12,617.90**	**15,038.85**	**17,328.66**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	3,602.22	4,305.61	5,300.08	6,760.37	8,527.60
	• सहायतार्थ अनुदान	2,503.80	2,897.01	2,921.21	3,792.96	4,924.36
	योग	**6,106.02**	**7,202.62**	**8,221.29**	**10,553.33**	**13,451.96**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I और II)**	**15,423.84**	**17,763.59**	**20,839.19**	**25,592.18**	**30,780.62**[1]
IV	**III से I का प्रतिशत**	**60**	**59**	**61**	**59**	**56**

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व, गत वर्ष के 59 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2007-08 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों (30,780.62 करोड़ रुपये) का 56 प्रतिशत रहा । 2007-08 के दौरान प्राप्तियों का शेष 44 प्रतिशत भारत सरकार से था।

[1] ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2007-08 के वित्त लेखे की 'विवरणी संख्या-11- लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे' देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, '0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाया गया है एवं विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान वसूले गये कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08 में 2006-07 पर प्रतिशत वृद्धि(+)/ कमी (-)
1.	• बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	3,751.80	4,500.78	5,245.41	6,272.15	7,345..84	(+) 17
	• केन्द्रीय बिक्री कर	233.63	296.75	348.23	448.56	404.90	(-) 10
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,163.15	1,276.07	1,521.80	1,591.09	1,805.12	(+) 13
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	611.77	817.83	1,031.79	1,293.68	1,544.35	(+) 19
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	280.29	442.76	471.35	515.88	584.23	(+) 13
5.	वाहनों पर कर	904.31	817.21	908.18	1,023.61	1,164.40	(+) 14
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	150.50	144.01	236.71	247.60	160.61	(-) 35
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	20.11	1.85	0.25	0.06	0.04	(-) 33
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	46.85	47.56	31.70	46.04	58.91	(+) 28
9.	भू-राजस्व	71.44	68.86	84.30	116.71	155.29	(+) 33
10.	अन्य कर	12.33	1.14	0.51	52.86	51.04	(-) 3
	योग	7,246.18	8,414.82	9,880.23	11,608.24	13,274.73	(+) 14

सम्बन्धित विभागों ने 2006-07 पर 2007-08 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के निम्नलिखित कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर: राज्य में व्यवसाय एवं उद्योगों का विकास, कर अपवंचन पर रोकथाम तथा वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (17 प्रतिशत) हुई।

केन्द्रीय बिक्री कर: केन्द्रीय बिक्री कर की दर में एक प्रतिशत की न्यूनता के कारण कमी (10 प्रतिशत)हुई।

राज्य आबकारी शुल्क: नयी आबकारी नीति लागू करने एवं मदिरा की बिक्री में वृद्धि के कारण वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क: दस्तावेजों के पंजीयन में बढ़ोतरी तथा पुरानी बकाया की वसूली के कारण वृद्धि (19 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विद्युत की अधिक बिक्री के कारण वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई।

वाहनों पर करः कुछ श्रेणियों के वाहनों पर एकबारीय कर में वृद्धि, प्रशमन शुल्क की अधिक वसूली एवं विभाग द्वारा बकाया की वसूली हेतु विशेष प्रयासों के कारण वृद्धि (14 प्रतिशत) हुई।

माल एवं यात्रियों पर करः उच्च न्यायालय के स्थगन होने से प्रवेश कर जमा नहीं कराने के कारण कमी (35 प्रतिशत) हुई।

आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर करः व्यवसाय कर समाप्त करने के कारण कमी (33 प्रतिशत) हुई।

वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्कः मनोरंजन/सिनेमा व्यवसाय मे विकास, होटल उद्योग में पंजीकरण एवं पर्यटकों के प्रवाह में बढ़ोतरी तथा वसूली हेतु विभाग के प्रयासों के कारण वृद्धि (28 प्रतिशत) हुई।

भू-राजस्वः भूमि की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (33 प्रतिशत) हुई।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये मुख्य कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती हैः

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08 में 2006-07 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	685.12	754.94	990.21	1,072.72	1,112.43	(+) 4
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	39.53	39.41	40.07	45.24	58.30	(+) 29
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	513.70	645.35	814.08	1,196.52	1,226.61	(+) 3
4.	विविध सामान्य सेवाएं	340.50	90.47	305.87	528.28	919.72	(+) 74
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	43.23	56.50	46.79	60.56	57.92	(-) 4
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	16.28	29.84	16.70	30.62	39.11	(+) 28
7.	सहकारिता	6.93	8.71	14.79	22.23	27.01	(+) 22
8.	सार्वजनिक निर्माण	16.45	17.85	27.86	47.47	53.41	(+) 13
9.	पुलिस	46.16	54.04	75.86	42.61	94.81	(+) 123
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	50.65	91.79	54.02	54.84	54.71	-
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	313.09	357.25	351.42	329.52	409.90	(+) 24
	योग	**2,071.64**	**2,146.15**	**2,737.67**	**3,430.61**	**4,053.93**	**(+) 18**

सम्बन्धित विभागों ने 2006-07 पर 2007-08 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के निम्नलिखित कारण बताये:

वानिकी एवं वन्य जीवनः इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहर के किनारे वृक्षों के पातन एवं तेन्दू पत्तों की बिक्री से अधिक राजस्व प्राप्ति के कारण वृद्धि (29 प्रतिशत) हुई।

विविध सामान्य सेवाएः वृद्धि (74 प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा ऋण की मुक्ति एवं डूबन्त कोष की समाप्ति पर राशि हस्तान्तरण के कारण हुई।

सहकारिताः वृद्धि (22 प्रतिशत) मुख्यतः वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा शुल्क के पुनर्भुगतान की प्राप्ति के कारण हुई।

पुलिसः अन्य सरकारों को पुलिस उपलब्ध कराने पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (123 प्रतिशत) हुई।

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में अन्तर के कारणों को अन्य विभागों ने अनुरोध करने (मई एवं जुलाई 2008 के मध्य) के उपरान्त भी सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2008)।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक आँकड़ों में अन्तर

वर्ष 2007-08 के लिए कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित बजट अनुमानों और वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के अन्तर नीचे दर्शाए गए हैः

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	7,676.00	7,750.74	(+) 74.74	(+) 1
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,720.00	1,805.12	(+) 85.12	(+) 5
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,475.00	1,544.35	(+) 69.35	(+) 5
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	552.20	584.23	(+) 32.03	(+) 6
5.	वाहनों पर कर	1,050.00	1,164.40	(+) 114.40	(+) 11
6.	भू-राजस्व	100.06	155.29	(+) 55.23	(+) 55
7.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	50.00	51.03	(+) 1.03	(+) 2
	योग	**12,623.26**	**13,055.16**	**(+) 431.90**	**(+) 3**
कर-इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,280.00	1,226.61	(-) 53.39	(-) 4
2.	ब्याज प्राप्तियां	949.24	1,112.43	(+)163.19	(+) 17
3.	विविध सामान्य सेवाएं	442.06	919.72	(+) 477.66	(+)108
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	48.65	58.30	(+) 9.65	(+) 20
5.	पुलिस	79.34	94.81	(-)15.47	(+)19
	योग	**2,799.29**	**3,411.87**	**(+) 612.58**	**(+) 22**

सम्बन्धित विभागों ने वर्ष 2007-08 के लिये बजट अनुमानों एवं राजस्व की वास्तविक

प्राप्तियों में अन्तर के निम्नलिखित कारण बतायेः

वाहनों पर करः विनिर्दिष्ट श्रेणियों के वाहनों पर एकबारीय कर में वृद्धि, प्रशमन शुल्क की अधिक वसूली एवं बकाया वसूली के लिये विभाग के विशेष प्रयासों के कारण वृद्धि (11 प्रतिशत) हुई।

भू-राजस्वः भूमि की अधिक बिक्री के कारण वृद्धि (55 प्रतिशत) हुई।

ब्याज प्राप्तियांः वृद्धि (17 प्रतिशत) मुख्यतः उपशीर्ष "नकद शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज" के अन्तर्गत प्राप्ति का पूर्व निर्धारण नहीं होने एवं बाहरी सहायतार्थ परियोजना (विश्व बैंक) के अन्तर्गत विद्युत कम्पनियों को अतिरिक्त ऋण देने के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएँः वृद्धि (108 प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा डूबन्त कोष की समाप्ति पर राशि हस्तान्तरण, उपनिवेशन विभाग में भूमि के नये आवंटन से प्राप्तियों एवं वसूली के साथ-साथ अधिक वसूली के कारण हुई।

वानिकी एवं वन्य जीवनः इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहर के किनारे वृक्षों के पातन एवं तेन्दू पत्तों की बिक्री से अधिक राजस्व प्राप्ति के कारण वृद्धि (20 प्रतिशत) हुई।

पुलिसः अन्य सरकारों को पुलिस उपलब्ध कराने पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (19 प्रतिशत) हुई।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2006-07 के लिए संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का प्रतिशत निम्न प्रकार हैः

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2006-07 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2005-06	5,593.64	52.42	0.9	
		2006-07	6,720.71	60.05	0.9	0.82
		2007-08	7,750.74	53.76	0.7	
2.	राज्य आबकारी शुल्क	2005-06	1,521.80	34.18	2.2	
		2006-07	1,591.09	42.52	2.7	3.30
		2007-08	1,805.12	48.51	2.7	
3.	वाहनों पर कर	2005-06	908.18	13.67	1.5	
		2006-07	1,023.61	15.56	1.5	2.47
		2007-08	1,164.40	17.44	1.5	
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2005-06	1,031.79	15.79	1.5	
		2006-07	1,293.68	19.21	1.5	2.33
		2007-08	1,544.35	22.80	1.5	

1.4 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2008 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया की राशि 4,026.12 करोड़ रुपये थी जिसमें से 959.89 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2008 को बकाया राशि	पांच वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2,995.45	670.00	2,995.45 करोड़ रुपयों में से 226.26 करोड़ रुपयों की मांग पर न्यायिक प्राधिकारियों का स्थगन था, 79.52 करोड़ रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थी, 36.39 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित होने की संभावना थी तथा 257.64 करोड़ रुपये की मांग उन व्यापारियों, जिनका पता नहीं चल सका, के विरूद्ध बकाया थी। 16.08 करोड़ रुपये की वसूली सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी। 2,379.56 करोड़ रुपये की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
2.	राज्य आबकारी शुल्क	222.71	181.99	222.71 करोड़ रुपयों में से 66.97 करोड़ रुपयों की वसूली उच्च न्यायालय/न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई, 31.32 करोड़ रुपये अपलिखित होने की संभावना थी तथा 124.42 करोड़ रुपयों की माँग, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाणपत्रों से आच्छादित थी।
3.	वाहनों पर कर	31.82	14.21	31.82 करोड़ रुपयों में से 2.56 करोड़ रुपयों की मांगें न्यायालय/सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 28.32 करोड़ रुपयें की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 75 लाख रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा लोक ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थी। 19 लाख रुपयों की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
4	यात्री एवं माल पर कर	1.90	1.90	जिस स्तर पर वसूली बकाया है, उसकी सूचना परिवहन विभाग द्वारा नहीं दी गई।
5.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	86.70	8.99	86.70 करोड़ रुपयों में से 37.32 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित थीं। 49.38 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई।
6.	भू-राजस्व	76.20	12.42	76.20 करोड़ रुपयों में से 3.28 करोड़ रुपयों की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई तथा 20.08 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 52.84 करोड़ रुपयों की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
7	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	101.42	33.49	101.42 करोड़ रुपयों में से 64.75 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गईं तथा 1.42 करोड़ रुपये सरकार द्वारा स्थगित कर दिये गये। 23.72 करोड़ रुपयों की मांगें भू-राजस्व अधिनियम तथा लोक ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित थी। 2.23 करोड़ रुपयों की बकाया अपलिखित होने की संभावना थी। 9.30 करोड़ की मांगे वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।

1	2	3	4	5
8	विविध सामान्य सेवाऐं- भूमि की बिक्री	126.84	21.84	जिस स्तर पर वसूली बकाया है, उसकी सूचना उपनिवेशन विभाग द्वारा नहीं दी गई।
9	वृहद एवं मध्यम सिंचाई[2]	128.63	15.05	128.63 करोड़ रुपयों में से राजस्व मण्डल से सम्बन्धित 10.20 करोड़ की मांगे कृषकों के विरूद्ध बकाया थी। 118.43 करोड़ रुपयों की वसूली जिस स्तर पर बकाया थी उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर; आयुक्त, सि.क्षे.वि, चम्बल, कोटा; मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर एवं मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर, बांसवाडा द्वारा नहीं दी गई ।
10	पुलिस	27.66	शून्य	27.66 करोड़ रुपयों में से 12.63 करोड़ रुपये, 12.08 करोड़ रुपये एवं 2.95 करोड़ रुपये क्रमशः रेलवे, अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय सरकार से वसूली हेतु बकाया थे।
11	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	**226.79**	शून्य	226.79 करोड़ रुपयों में से 87.77 करोड़ रुपये उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दिये गये। अवशेष 139.02 करोड़ रुपयों की वसूली के स्तर विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए।
	योग	**4,026.12**	**959.89**	

1.5 कर निर्धारणों में बकाया

वर्ष 2007-08 के आरम्भ में लम्बित कर निर्धारणों, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य, वर्ष के दौरान निपटाये गये और वर्ष 2007-08 के अन्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या गत चार वर्षो के आंकड़ों सहित, जैसा कि विभागों द्वारा प्रेषित किया गया, नीचे दर्शायी गयी है:

वर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारण योग्य नये प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण
बिक्री कर					
2003-04	78	3,08,558	3,08,636	2,27,290	81,346
2004-05	81,346	2,12,397	2,93,743	2,28,913	64,830
2005-06	64,830	1,90,787	2,55,617	2,54,740	877
2006-07	877	2,43,771	2,44,648	2,43,618	1,030
2007-08	1,030	2,57,923	2,58,953	2,57,609	1,344
मनोरंजन कर					
2003-04	2,573	2,527	5,100	3,040	2,060
2004-05	2,060	2,514	4,574	2,606	1,968
2005-06	1,968	2,996	4,964	3,619	1,345
2006-07	1,345	2,193	3,538	2,546	992
2007-08	992	1,772	2,764	1,642	1,122

[2] यह सूचना राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर (10.20 करोड़ रुपये); मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इ.गा.न.प.), बीकानेर (6.14 करोड़ रुपये); आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास (सिं.क्षे.वि.) चम्बल, कोटा (12.82 करोड़ रुपये); मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर (94.39 करोड़ रुपये) एवं मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर, बांसवाडा (5.08 करोड़ रुपये) से संबंधित है।

1.6 कर का अपवंचन

वर्ष 2007-08 में विभागों द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के प्रकरण, अन्तिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर की मांग कायमी का विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2007 को प्रारम्भिक शेष	पता लगाये गये प्रकरण	योग	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायमी के प्रकरणों की संख्या		31 मार्च 2008 को बकाया प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	116	12,096	12,212	12,102	90.15	110
2.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	7,912	1,306	9,218	1,662	उपलब्ध नहीं	7,556
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	5,479	9,258	14,737	10,073	51.89	4,664

इस प्रकार, 31 मार्च 2008 को राजस्व शीर्ष "अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग" के अन्तर्गत अपवंचन के 82 प्रतिशत प्रकरण बकाया थे। इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

1.7 राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग

वर्ष 2007-08 के दौरान, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, 3,603 प्रकरणों में 20 करोड़ रुपये की मांगें अपलिखित/परित्याग/माफ की गई। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि	कारण
1.	वाणिज्यिक कर	2,704	4.44	परित्याग व्यवसाइयों की मृत्यु होने, चल/अचल सम्पत्ति नहीं होने या व्यवसाइयों द्वारा व्यावसायिक स्थल छोड़ने के कारण की गई।
2.	पंजीयन एवं मुद्रांक	899	15.56	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	योग	**3,603**	**20.00**	

1.8 प्रतिदाय

वर्ष 2007-08 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदाय तथा वर्ष 2007-08 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या,

जैसी कि विभागों द्वारा सूचित की गई, नीचे दर्शायी गई है:

(करोड़ रुपयों में)

विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या / राशि			
	प्रारंभिक शेष	प्राप्त दावे	अनुमत्य प्रतिदाय	अन्तिम शेष
वाणिज्यिक कर	628 14.55	9,172 172.36	9,191 171.61	609 15.30
पंजीयन एवं मुद्रांक	670 1.03	1,808 3.63	1,952 3.80	526 0.86
भू-राजस्व	6 0.07	29 0.13	28 0.10	7 0.10
उपनिवेशन	49 0.11	19 0.09	47 0.15	21 0.05
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	3 2.93	69 0.17	59 3.00	13 0.10
योग	**1,356** **18.69**	**11,097** **176.38**	**11,277** **178.66**	**1,176** **16.41**

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री कर, विद्युत-कर, भू-राजस्व, मोटर वाहन कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क एवं अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ के अभिलेखों की वर्ष 2007-08 के दौरान की गई मापक जांच में 18,543 प्रकरणों में 1,118.41 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि 130.17 करोड़ रुपये के 10,771 प्रकरण स्वीकार किये गये, जिनमें से निहित राशि 35.67 करोड़ रुपये के 4,177 प्रकरण वर्ष 2007-08 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2007-08 के दौरान लेखापरीक्षा के इंगित करने पर 2,983 प्रकरणों में 18.57 करोड़ रुपये की राशि विभागों ने वसूल कर ली।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 39 अनुच्छेद, जिनमें 666.55 करोड़ रुपये निहित है, सम्मिलित किए गए हैं। सरकार/विभागों ने 408.65 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं जिसमें से 31.38 करोड़ रुपये अक्टूबर 2008 तक वसूल हो चुके थे।

1.10 जवाबदेयता लागू करने एवं शासकीय हित के बचाव में वरिष्ठ कार्मिकों की असफलता

करों, शुल्कों, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और प्रारंभिक लेखों के रख-रखाव में त्रुटियां, जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण अनियमितताऐं भी कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार/विभागों को सूचित की जाती हैं, जिसके उत्तर उनके द्वारा एक माह में भेजे जाने होते हैं।

31 दिसम्बर 2007 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, जो 30 जून 2008 को विभागों में निपटारे हेतु बकाया थी, गत दो वर्षों के आंकडों सहित नीचे दर्शायी गयी हैः

क्र. सं.	विवरण	30 जून को		
		2006	2007	2008
1.	निपटारे हेतु बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,370	2,313	2,335
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	6,716	6,428	6,435
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	1,804.08	1,527.75	1,554.58

30 जून 2008 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया हैः

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	सर्वप्रथम वर्ष जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनकी प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई
1.	वाणिज्यिक कर	381	1,359	657.27	2000-01	80
2.	भू-राजस्व	339	547	167.31	1994-95	6
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	695	1,840	74.87	2000-01	144
4.	परिवहन	408	1,288	86.90	1998-99	12
5.	वन	150	320	2.39	1999-00	2
6.	खान एवं भू-विज्ञान	168	607	465.34	2000-01	10
7.	राज्य आबकारी शुल्क	135	378	98.11	1998-99	शून्य
8.	भूमि एवं भवन कर	13	17	0.70	1997-98	शून्य
9.	विद्युत निरीक्षण	46	79	1.69	1999-00	5
	योग	2,335	6,435	1,554.58		259

चूंकि, बकाया राशि, नहीं वसूले गये राजस्व को प्रदर्शित करती है तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लम्बित रहने की अवधि 7 से 13 वर्षों के मध्य रही, सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताये गये मामलों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

1.11 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

विवादित विषयों पर उच्चतम प्रबन्धन के साथ विचार विमर्श एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया है। सरकार, सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) इन समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक विभाग द्वारा तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी थी। वर्ष 2007 के दौरान लेखापरीक्षा

समितियों की विभाग-वार आयोजित बैठकों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	2007 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या				
		मार्च 2007 को समाप्त पहली तिमाही	जून 2007 को समाप्त दूसरी तिमाही	सितम्बर 2007 को समाप्त तीसरी तिमाही	दिसम्बर 2007 को समाप्त चौथी तिमाही	योग
1.	वाणिज्यिक कर	शून्य	1	1	शून्य	2
2.	राज्य आबकारी	शून्य	1	1	शून्य	2
3.	परिवहन	1	1	1	1	4
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	शून्य	1	1	शून्य	2
5.	भू राजस्व	शून्य	शून्य	1	शून्य	1
6.	खान एवं भू विज्ञान	शून्य	1	शून्य	1	2
	योग	**1**	**5**	**5**	**2**	**13**

सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अलावा उन लेखापरीक्षा समितियों को पुनर्जीवित करने के तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता है जो अप्रभावी तथा निष्क्रिय हो गई है।

1.12 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे अपने उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेदों के अन्त में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2008 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को जुलाई 2008 एवं सितम्बर 2008 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 106 मामलों (इस प्रतिवेदन के 39 अनुच्छेदों में सम्मिलित) में से 57 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के संबंध में अपने व्याख्यात्मक पत्रक लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राजस्थान विधानसभा के संचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 30 सितम्बर 2008 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति **परिशिष्ट 'अ'** में दर्शायी गई है। वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि से सम्बन्धित 106 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी को प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेंगें। बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की स्थिति **परिशिष्ट 'ब'** में दर्शायी गयी है। इससे विदित होता है कि बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की अवधि 6 माह से 98 माह तक रही।

1.14 स्वीकार किये गये प्रकरणों में राजस्व की वसूली

वर्ष 2002-03 एवं 2006-07 के मध्य के वर्षो के दौरान सरकार/विभागों ने 692.72 करोड़ रुपये अन्तर्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार की, जिनमें से 108.70 करोड़ रुपयों की वसूली 30 सितम्बर 2008 तक नीचे दर्शाये गये अनुसार कर ली गई:

(करोड़ रुपयों में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सकल धन मूल्य	स्वीकार किया गया धन मूल्य	की गई वसूली
2002-03	382.52	220.03	35.51
2003-04	381.48	234.78	49.43
2004-05	276.63	15.85	5.74
2005-06	352.81	112.34	15.73
2006-07	315.25	109.72	2.29
योग	**1,708.69**	**692.72**	**108.70**

इस प्रकार, गत पांच वर्षो में स्वीकार की गई राशि के केवल 16 प्रतिशत की वसूली हुई।

1.15 अधिनियमों/नियमों में संशोधन

लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठायें गये बिन्दुओं का समाधान करते हुए राज्य सरकार ने 2003-04 से 2007-08 के वर्षो के दौरान अधिनियमों/नियमों में संशोधन किये हैं। उक्त परिवर्तन निम्न तालिका में संक्षिप्त रूप से दर्शाये गये हैः

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद का संदर्भ	लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया विषय	अधिनियमों/नियमों में संशोधन आदि
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2000-01 (राजस्व प्राप्तियां) का अनुच्छेद 8.7	राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I के आर्टिकल 35 के अन्तर्गत "क्वारी लाइसेंस" के हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण पर आरोपणीय मुद्रांक कर का आरोपण नहीं किया गया।	"क्वारी लाईसेन्स" शब्द को अधिसूचना दिनांक 28 जून 2003 द्वारा हटा दिया गया।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2002-03 (राजस्व प्राप्तियां) का अनुच्छेद 4.2.15	राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I के आर्टिकल 23 के अन्तर्गत मोटर वाहन (चल सम्पत्ति) के पंजीयन पर आरोपणीय मुद्रांक कर का आरोपण नहीं किया गया।	राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2004 द्वारा मोटर वाहनों की बिक्री पर आरोपणीय मुद्रांक कर को माफ कर दिया गया।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2003-04 (राजस्व प्राप्तियां) का अनुच्छेद 3.2.4	मोटर ड्राइविंग विद्यालयों के वाणिज्यिक गतिविधियों के उपयोग में लिए गए वाहनों पर विशेष पथकर चुकाया नहीं जा रहा था, यद्यपि राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4ब के अन्तर्गत छूट, जो पंजीकृत समितियों के शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध है, के द्वारा ये वाहन आच्छादित नहीं थे।	अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2005 के द्वारा ऐसे वाहनों को राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 की धारा 4ब के अन्तर्गत आरोपणीय विशेष पथकर से मुक्त कर दिया गया।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2000-01 (राजस्व प्राप्तियां) का अनुच्छेद 4.3	राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार विकास प्रभारों की वसूली नहीं करना।	राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के नियम 3 के पहले एवं दूसरे परन्तुक को अधिसूचना दिनांक 19 मार्च 2005 द्वारा हटा दिया गया।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2005-06 (राजस्व प्राप्तियां) का अनुच्छेद 3.2.3.2	राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन डम्परों/टिप्परों के सम्बन्ध में देय मोटर वाहन कर का उनके वाहन स्वामियों द्वारा या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।	डम्परों/टिप्परों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्धारित मोटर वाहन कर की दरों को अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2007 द्वारा कम कर दिया गया।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 (राजस्व प्राप्तियां) का अनुच्छेद 5.4	आसवनी के स्वयं द्वारा उत्पादित शोधित प्रासव/एकस्ट्रा न्यूट्रॉल एलकोहल का उपयोग देशी मदिरा के निर्माण में करने पर राजस्थान आबकारी नियम ,1956 के नियम 69ब के अन्तर्गत निर्धारित दर पर परमिट शुल्क आरोपणीय था, परन्तु शुल्क न तो चुकाया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया।	शोधित प्रासव/एकस्ट्रा न्यूट्रॉल एलकोहल का स्वयं द्वारा निर्माण में उपयोग पर राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69ब के अन्तर्गत आरोपणीय परमिट शुल्क को अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त 2007 द्वारा माफ कर दिया गया।

अध्याय-II: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की वर्ष 2007-08 के दौरान की गई मापक जांच से 1,918 प्रकरणों में 352.50 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण आदि प्रकट हुये जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैः

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	473	193.31
2.	अनियमित छूट प्रदान करना	131	36.84
3.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	348	36.66
4.	कर योग्य व्यापारावर्त का निर्धारण नहीं करना	306	28.16
5.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	39	2.98
6.	क्रय कर का अनारोपण	23	0.36
7.	अन्य अनियमिततायें	598	54.19
	योग	**1,918**	**352.50**

वर्ष 2007-08 के दौरान, विभाग ने 6.69 करोड़ रुपयों के 549 प्रकरणों में अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 89.54 लाख रुपये के 86 प्रकरण वर्ष 2007-08 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2007-08 के दौरान 81 प्रकरणों में 1.66 करोड़ रुपये वसूल किये जिनमें से 21.30 लाख रुपये के पांच प्रकरण वर्ष 2007-08 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

ड्राफ्ट अनुच्छेद जारी होने के पश्चात्, 6.61 लाख रुपये विभाग ने उस आक्षेप के सम्बन्ध में वसूल कर लिये, जो वर्ष 2007-08 के दौरान ध्यान में लाया गया था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले 17.81 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

2.2 अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण

2.2.1 केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिसूचना जारी करते हुए, राज्य सरकार ने "सी" प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत किये बिना अनेक वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर निर्धारित की। केन्द्र सरकार ने 11 मई 2002 को धारा 8(5) में संशोधन किया जिसमें विहित था कि अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर का दावा करने के लिए "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया था। इस प्रकार घोषित वस्तुओं से भिन्न मामलों में घोषणा पत्र के बिना समर्थित अन्तर्राज्यीय विक्रय पर 10 प्रतिशत या राज्य दर जो भी अधिक हो तथा घोषित वस्तुओं के मामले में राज्य में लागू दर से दोगुना कर आरोपणीय था। उपरोक्त संशोधन के विपरीत, आयुक्त, वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) ने 11 मई 2002 से 26 सितम्बर 2005 की अवधि के दौरान ऐसे प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता का त्याग करवाते हुए दिसम्बर 2005 में एक परिपत्र जारी किया । यह भी बताया गया कि कर की रियायती दर का लाभ प्राप्त करने के लिये इस तिथि के बाद सभी अन्तर्राजयीय विक्रय "सी" प्रपत्र द्वारा समर्थित होनी चाहिये।

इकतालीस वाणिज्यिक कर कार्यालयों (वा.क.का.)[1] के कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2002-03 से 2006-07 वर्षों से सम्बन्धित अवधि के 642 कर निर्धारण, निर्धारित घोषणाओं से समर्थित नहीं थे। ये अन्तर्राज्यीय विक्रय, इसलिए कर की रियायती दर के पात्र नहीं थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) ने फरवरी 2005 से मार्च 2007 के मध्य कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर की रियायती दर आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप 206.71 करोड़ रुपये के कर के अतिरिक्त उस पर प्रभार्य 66.95 करोड़ रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, नि.प्रा. ने अगस्त 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य बताया कि सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में जारी 13 दिसम्बर 2005 को एक परिपत्र तथा सीमेन्ट के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर 2006 को अधिसूचना के द्वारा "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करने की शर्त को पुनः लागू कर दिया, परन्तु तब तक "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि दिनांक 11 मई 2002 को केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संशोधन के पश्चात्, प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करने की शर्त में शिथिलता के लिये जारी अधिसूचना/ परिपत्र स्वतः ही खण्डित या अप्रभावी था एवं इस प्रकार बिना "सी" प्रपत्र के

---

[1] विशेष अजमेर (1), अजमेर (4), अलवर (11), "ए" अलवर (6), बारां (30), बांसवाड़ा (5), "बी" भरतपुर (44), "बी" भीलवाड़ा (6), विशेष भीलवाड़ा (17), प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा (3), ब्यावर (8), भिवाड़ी (8), विशेष बीकानेर (28), बून्दी (11), दौसा (41), धौलपुर (4), हनुमानगढ़ (33), विशेष-I जयपुर (8), विशेष-II जयपुर (7), विशेष-III जयपुर (18), विशेष-IV जयपुर (15), विशेष-V जयपुर (14), "सी" जयपुर (14), "ई" जयपुर (15), "जी" जयपुर (22), विशेष राजस्थान (1), झालावाड़ (33), झुंझूनू (5), विशेष-II जोधपुर (16), "सी" जोधपुर (13), "बी" कोटा (64), प्रतिकरापवंचन-II कोटा (3), विशेष कोटा (15), निम्बाहेड़ा (12), विशेष पाली (8), रायसिंहनगर (14), "ए" श्रीगंगानगर (38), विशेष श्रीगंगानगर (8), सूरतगढ़ (28), टोंक (8), विशेष उदयपुर (3) ।

अन्तर्राज्यीय विक्रय, घोषित वस्तुओं से भिन्न मामलों में 10 प्रतिशत कर या निर्धारित दरों से जो भी अधिक हो तथा घोषित वस्तुओं के मामलों में राज्य में लागू दरों से दोगुना से कर योग्य था।

2.2.2 अठारह वा.क.का.[2] की मांग एवं वसूली पंजिका की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अन्तर्राज्यीय विक्रय के 146 प्रकरण, जिन्हें 2004-05 एवं 2006-07 के मध्य अंतिम रूप दिया गया, "सी" प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थे। नि.प्रा. ने निर्धारित दरों पर कर आरोपित किया एवं तदनुसार मांग कायम की। तथापि, दिसम्बर 2005 में जारी परिपत्र की अनुपालना में मांग 14.23 करोड़ रुपये से कम कर दी गई। मांग में कमी करना अनियमित था एवं परिणामस्वरूप ब्याज सहित 17.65 करोड़ रुपये (मांग: 14.23 करोड़ रुपये एवं ब्याज: 3.42 करोड़ रुपये) की राजस्व हानि हुई।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (अक्टूबर 2008) कि 11 मई 2002 से 25 सितम्बर 2005 की अवधि के "सी" प्रपत्रों के बिना समर्थित विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बन्ध में सरकार ने दिनांक 13 मई 2008 को दो आदेश जारी कर, के.बि.क. अधिनियम की उपधारा 8(5) के अन्तर्गत निर्धारित दर से अधिक की तथा 26 सितम्बर 2005 से 31 मार्च 2007 की अवधि के लिये राज्य दर से अधिक की, मांग अपलिखित कर दी । इससे पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश आ.वा.क. द्वारा जारी विवादित परिपत्र, जिसमें कि "सी" प्रपत्रों की आवश्यकता को अनियमित रूप से त्याग दिया गया था, के अनुसरण में निर्णीत मामलों को केवल नियमित करने के लिये जारी किये गये थे। आगे, उपरोक्त आदेश राजस्थान बिक्री कर अधिनियम (रा.बि.क.) की धारा 55 के प्रावधान के विपरीत थे जिसमें निर्दिष्ट है कि केवल वे ही मांगे अपलिखित की जा सकती है जो रा.बि.क. अधिनियम एवं के.बि.क अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्षों से अधिक बकाया थी एवं जिनकी वसूली नहीं की जा सकती थी।

2.3 शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना

"उद्योगों के लिये बिक्री कर मुक्ति योजना 1998" के अन्तर्गत, योजना में निर्धारित लाभ की अधिकतम मात्रा एवं अवधि की शर्त पर औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई थी। योजना में आगे प्रावधान था कि योजना के लाभ के उपभोग के बाद लाभार्थी औद्योगिक इकाईयां अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखेगी, जिसमें असफल होने पर निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर, इकाईयां यह मानते हुए करारोपण की दायी थी, जैसे कोई कर मुक्ति थी ही नहीं । इसके अतिरिक्त, उपभोग किये गये लाभ पर रा.बि.क. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोपणीय था।

---

[2] "ए" अलवर (11), "बी" अलवर (16), विशेष अलवर (5), बारां (2), विशेष बीकानेर (4), "बी" भरतपुर (3), भिवाड़ी (2), दौसा (14), धौलपुर (2), विशेष-II जयपुर (2), विशेष-III जयपुर (4), झालावाड़ (29), "सी" जोधपुर (9), "बी" कोटा (2), निम्बाहेड़ा (18), विशेष उदयपुर (8), सूरतगढ़ (3), एवं टोंक (12) ।

तीन वा.क.का[3] में, जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य यह दृष्टिगत हुआ कि चार औद्योगिक इकाईयों को जनवरी 1999 एवं नवम्बर 2001 के मध्य पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। इन इकाईयों द्वारा 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 7.73 करोड़ रुपयों की कर मुक्ति का लाभ उपयोग किया एवं उस अवधि, जिसके दौरान योजना के अन्तर्गत कर भुगतान से मुक्ति का उपभोग किया था, के उपरान्त अगले पांच वर्षो तक अपना उत्पादन जारी रखना आवश्यक था। इन इकाईयों ने उपभोग किए गये मुक्ति लाभ की तिथि से पांच वर्ष के अन्दर, 2002-03 एवं 2005-06 के मध्य अपना उत्पादन बन्द कर दिया, किन्तु कर नि.प्रा. ने उन इकाईयों द्वारा पूर्व में उपभोग किए गये कर मुक्ति लाभ के वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 9.10 करोड़ रुपये के ब्याज सहित कर के 16.83 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हुई।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने बताया (अगस्त 2008) कि एक प्रकरण में मामले को राज्य स्तरीय छानबीन समिति को निर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया था तथा दूसरे प्रकरण में उत्पादन प्रारम्भ होने जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो उत्पादन प्रारम्भ हुआ था न ही छः वर्षो के उपरान्त भी कर मुक्ति के लाभों को वापस लिया गया था। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

2.4 संग्रहण के ठेके को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण राजस्व की हानि

रा.बि.क. अधिनियम की धारा 78 (1) के अन्तर्गत कर अपवंचन या परिहार को, प्रतिबन्धित अथवा रोकने की दृष्टि से, आयुक्त, ऐसे स्थान तथा अवधि विशेष के लिये जैसा कि निर्दिष्ट हो, चैक पोस्ट की स्थापना करने के लिये निर्देश दे सकता है। आगे, अधिनियम की धारा 79 (1) में प्रावधान है कि जहां आयुक्त इस विचार के है कि चैक पोस्ट की स्थापना के बिना, ठेके के आधार पर कर की निश्चित राशि संग्रहित करना राज्य हित में है, तो वह ठेके के माध्यम से ऐसे बिन्दु या स्थान के लिये ऐसी निबन्धन एवं शर्तो पर, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की गई हो, निश्चित राशि पर ऐसी अवधि के लिए, जो एक बार में दो वर्षो से अधिक की अवधि नहीं हो, एक ठेकेदार को ठेके से कर वसूल करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

वा.क.का., बारां के वर्ष 2005-07 के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट (फरवरी 2008) हुआ कि कर संग्रहण के लिये चैक पोस्ट का एक ठेका 4 फरवरी 2002 से 3 फरवरी 2004 तक की दो वर्षो की अवधि के लिये दिया गया, जिसे 3 मई 2004 तक तीन महीनों की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात्, विभाग द्वारा 5 फरवरी 2005 को चैक पोस्ट की निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई तथा 15 दिसम्बर 2005 को 35.03 लाख रुपये में ठेके को अन्तिम रूप दिया गया। 4 मई 2004 तथा 15 दिसम्बर 2005 के मध्य की अवधि के लिये विभाग द्वारा कर संग्रहण नहीं किया गया । ठेके को अन्तिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप राशि 56.53 लाख रुपये[4] के राजस्व की हानि हुई।

---

[3] भिवाड़ी (2), किशनगढ़ (1) एवं विशेष उदयपुर (1)।

[4] विभाग द्वारा 5 फरवरी 2005 को जारी निविदा आमंत्रण सूचना के आधार पर ठेके की राशि 35.03 लाख रुपये थी। 56.53 लाख रुपये की राशि की गणना इस प्रकार की गई: 35.03 लाख रुपये/12 = 2.92 लाख रुपये प्रतिमाह x 19 माह 11 दिन ।

मामला मार्च 2008 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अक्टूबर 2008)।

2.5 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

रा.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के लिये विभिन्न दरें निर्धारित की। ग्वार गम एवं इलास्टिक टेप पर इन अधिसूचनाओं में 11 जुलाई 2004 तक 10 प्रतिशत की सामान्य अवशिष्ट दर से तथा उसके बाद 12 प्रतिशत से निर्धारित करारोपण किया जाना था। 11 जुलाई 2004 तक 15 प्रतिशत की दर से अधिभार भी आरोपणीय था।

2.5.1 वा.क.का., विशेष वृत्त-V, जयपुर के 2006-07 वर्ष के अभिलेखों की दिसम्बर 2007 में संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक विनिर्माता ने 2003-04 एवं 2004-05 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये मूल्य की ग्वार गम का विक्रय किया। 2003-04 एवं 2004-05 के कर निर्धारणों को जुलाई 2005 एवं जून 2006 के मध्य अंतिम रूप देते समय नि.प्रा. ने गलती से 10 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया। इसके परिणामस्वरूप 18.99 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी आरोपणीय था।

प्रकरण के ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने सूचित (सितम्बर 2008) किया कि पुनः कर निर्धारण के पश्चात् 20.46 लाख रुपये (करः 18.99 लाख रुपये एवं ब्याजः 1.47 लाख रुपये) की मांग कायम कर दी गई, जिसमें से 15.93 लाख रुपये समायोजन द्वारा वसूल कर लिये गये।

2.5.2 वा.क.का., सिरोही के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2004) से प्रकट हुआ कि तीन इकाईयों ने वर्ष 2001-02 के दौरान 1.95 करोड़ रुपये मूल्य की इलास्टिक टेप का विक्रय किया। कर निर्धारणों को अन्तिम रूप (जनवरी एवं फरवरी 2004) देते समय नि.प्रा. ने "टेक्सटाईल फेब्रिक्स इम्प्रेगनेटेड, रबराईज्ड कोटेड, कवर्ड या लेमिनेटेड" वस्तुओं के रूप में गलत वर्गीकरण किया तथा 10 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 14.20 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

मामला जनवरी 2005 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को जून 2006 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2008)।

2.6 प्रवेश कर का अनारोपण

राज्य सरकार ने दिनांक 12 जुलाई 2004 को एक अधिसूचना जारी कर स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग या विक्रय के लिये सभी प्रकार के कागज एवं कागज उत्पादों के प्रवेश पर 4 प्रतिशत कर की दर विनिर्दिष्ट की। दिनांक 12 जुलाई 2004 एवं 20 अक्टूबर 2004 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने इन मदों पर 13 अगस्त 2002 से 12 जुलाई 2004 की अवधि के लिये एक प्रतिशत से अधिक तथा 20 अक्टूबर 2004 से तीन प्रतिशत से अधिक के कर की मुक्ति प्रदान की।

वा.क.का., वृत्त "सी" जयपुर के 2006-07 वर्ष के अभिलेखों की सितम्बर 2007 में संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक व्यवहारी ने 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान राज्य के

बाहर से क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये तथा 1.33 करोड़ रुपये मूल्य के कागज खरीदे तथा निर्धारित दरों से प्रवेश कर चुकाये बिना इसे कोरूगेटेड बॉक्स विनिर्माण के उपयोग में लिया। सम्बन्धित वर्षो के कर निर्धारणों को दिसम्बर 2005 एवं सितम्बर 2006 के मध्य अन्तिम रूप देते समय प्रवेश कर के आरोपण में नि.प्रा विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 7.13 लाख रुपये के प्रवेश कर एवं ब्याज का अनारोण हुआ।

मामला सितम्बर 2007 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को मई 2008 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अक्टूबर 2008)।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2007-08 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 8,279 प्रकरणों में 23.29 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति इत्यादि की कम वसूली का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	7,637	20.63
2.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	92	1.79
3.	अन्य अनियमिततायें	550	0.87
	योग	**8,279**	**23.29**

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने 26.11 करोड़ रुपये के 7,255 प्रकरणों में पंथकर, विशेष पथकर इत्यादि की संगणना न करना/कम करना को स्वीकार किया जिनमें से 7.19 करोड़ रुपये के 2,821 प्रकरण वर्ष 2007-08 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 602 प्रकरणों में 81.42 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 51.14 लाख रुपये के 216 प्रकरण वर्ष 2007-08 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

ड्राफ्ट पैरा जारी करने के पश्चात् विभाग ने एक मामले में 9.78 करोड़ रुपये की वसूली सूचित (जून 2008) की।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले 15.37 करोड़ रुपये के राजस्व के कुछ निदर्शी प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

3.2 एकबारीय कर की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 (रा.मो.वा.क.अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये राजस्थान मोटर वाहन कर नियम, 1951 (रा.मो.वा.क.नियमों) के अन्तर्गत, सभी गैर परिवहन[1] वाहनों पर एकबारीय कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा।

उन्नीस[2] प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (प्रा.प.कार्यालयों)/ जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.कार्यालयों) के अभिलेखों कि मई 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 584 संनिर्माण उपस्कर वाहनों के एकबारीय कर का भुगतान इनके वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया। कराधान अधिकारियों ने देय कर के आरोपण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकबारीय कर की राशि 4.11 करोड़ रुपये की अवसूली रही।

जून 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् जून 2008 में विभाग ने बताया कि 138 वाहनों के सम्बन्ध में राशि 80.97 लाख रुपये की वसूली कर ली गई। शेष मामलों में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008) ।

मामला मार्च 2008 में सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008) ।

3.3 विशेष पथकर एवं शास्ति की अवसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये रा.मो.वा.क. नियमों के अन्तर्गत, वाहन उस अवधि के लिए कर के भुगतान हेतु दायी नहीं होते है जिस अवधि के लिए उनका पंजीयन प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित किया जाता है। तथापि, जहां कोई वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र समर्पण किये जाने के बाद संचालित पाया जाता है तो ऐसे वाहन पर सम्पूर्ण समर्पण अवधि के कर सहित कर के पांच गुणा के बराबर शास्ति चुकानी होगी।

प्रा.प. कार्यालय, जयपुर एवं कोटा में पंजीयन प्रमाण-पत्रों के समर्पण से सम्बन्धित अभिलेखों का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से 2005-06 एवं 2006-07 की अवधि के लिए प्राप्त की गयी सूचना के प्रति-परीक्षण में प्रकट हुआ कि पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि में 100 वाहन (मंजिली) संचालित[3] हुए लेकिन विशेष पथकर की राशि 60.83 लाख रुपये तथा शास्ति 3.04 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 3.65 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

[1] गैर परिवहन वाहन से तात्पर्य एक मोटर वाहन से है जो परिवहन वाहन नहीं है तथा इसमें संनिर्माण उपस्कर वाहन सम्मिलित होता है।

[2] प्रा.प. कार्यालय अजमेर, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर; जि.प. कार्यालय बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बून्दी, डीडवाना, डूंगरपुर, जयपुर (गैर परिवहन), झालावाड़, कोटपूतली, नागौर, सिरोही तथा टौंक ।

[3] सूचना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में आगार प्रबन्धकों द्वारा संधारित मासिक सूचना विवरण पर आधारित है ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2008 में बताया कि वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

मामला अप्रैल 2008 में सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

3.4 भार वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये रा.मो.वा.क. नियमों के अन्तर्गत सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जावेगा। मोटर वाहन कर के अतिरिक्त, सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से विशेष पथकर भी देय होगा।

बीस[4] प्रा.प.कार्यालयों/ जि.प.कार्यालयों में अभिलेखों की मई 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1,279 भार वाहनों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2004 से मार्च 2007 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले थे अथवा किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित हो गये थे। कराधान अधिकारियों ने देय कर के आरोपण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि 1.97 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

जून 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि 394 वाहनों के सम्बन्ध में 62.58 लाख रुपये की राशि वसूल कर ली गई। तथापि, शेष मामलों में की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

मामला मार्च 2008 तथा अप्रैल 2008 के मध्य सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

3.5 यात्री वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर नहीं लगाना

रा.मो.वा.क. अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे यात्री वाहन, जो राज्य में उपयोग के लिए रखे गये हैं एवं अनुमति पत्रों से आच्छादित नहीं है, के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से देय होगा।

[4] प्रा.प. कार्यालय अजमेर, अलवर, दौसा, जोधपुर, पाली तथा उदयपुर; जि.प. कार्यालय बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बून्दी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (भार वाहन), झालावाड़, कोटपूतली, नागौर, सिरोही, श्रीगंगानगर तथा टोंक ।

ग्यारह[5] प्रा.प. कायालयों/जि.प. कार्यालयों में अभिलेखों की जून 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 241 यात्री वाहनों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए, जिसमें उनके वाहन बिना अनुमति पत्रों के थे, मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया। कराधान अधिकारियों ने भी देय कर के आरोपण एवं वसूली के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर की राशि 1.81 करोड़ रुपये की अवसूली रही।

जून 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि पांच वाहनों के सम्बन्ध में 1.97 लाख रुपये की राशि वसूल कर ली गई। तथापि, शेष प्रकरणों में की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

मामला मार्च 2007 एवं अप्रैल 2008 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

3.6 संविदा वाहनों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये रा.मो.वा.क.नियमों के अन्तर्गत, 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से त्रैमासिक तथा उस तिमाही, जिससे कर सम्बन्धित है, के प्रथम माह के 10 वें दिन या उससे पूर्व अग्रिम में देय है। 13 व्यक्तियों से ज्यादा बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों के सम्बन्ध में ये कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से उस माह, जिससे कर सम्बन्धित है, के सातवें दिन या उससे पूर्व मासिक रूप से अग्रिम में देय है।

3.6.1 तेरह व्यक्तियों तक बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

अठारह[6] प्रा.प. कार्यालयों/जि.प. कार्यालयों में अभिलेखों की मई 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि संविदा वाहन अनुमति पत्रों पर संचालित 824 वाहनों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2004 एवं मार्च 2007 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की राशि 1.50 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

---

[5] प्रा.प्र. कार्यालय, अजमेर, अलवर, जोधपुर एवं सीकर; जि.प. कार्यालय भरतपुर, भीलवाड़ा, डीडवाना, जयपुर (संविदा वाहन), जयपुर (मंजिली वाहन), कोटपूतली एवं नागौर ।

[6] प्रा.प. कार्यालय अजमेर, बीकानेर, दौसा, जोधपुर, पाली, सीकर तथा उदयपुर, जि.प. कार्यालय ब्यावर, भीलवाड़ा, बून्दी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (संविदा वाहन), कोटपूतली, सिरोही, श्रीगंगानगर तथा टौंक ।

3.6.2 तेरह व्यक्तियों से अधिक बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

चार[7] प्रा.प. कार्यालयों/जि.प. कार्यालयों में अभिलेखों की जून 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 95 संविदा वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधि के लिए विशेष पथ कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारियों ने देय कर के आरोपण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की राशि 1.29 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जून 2008 में बताया कि 13 व्यक्तियों तक बैठक क्षमता वाले 231 वाहनों के सम्बन्ध में राशि 38.76 लाख रुपये तथा 13 व्यक्तियों से अधिक बैठक क्षमता वाले 11 वाहनों के सम्बन्ध में राशि 5.75 लाख रुपये वसूल कर लिये गये। शेष मामलों में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008) ।

मामला मार्च 2008 तथा अप्रैल 2008 के मध्य सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

3.7 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये रा.मो.वा.क. नियमों के अन्तर्गत, मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर निर्धारित दरों से मासिक अग्रिम रूप से प्रत्येक माह के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है। वाहन स्वामी को प्रत्येक माह के 14 वें दिन या इससे पूर्व इससे संबन्धित घोषणा भी प्रस्तुत करनी होती है। यदि कर का सही भुगतान नहीं किया है या वाहन स्वामी ने विवरणी/घोषणा प्रस्तुत नहीं की है या विवरणी/घोषणा में गलत विवरण दिये है, तो कराधान अधिकारी को कर की गणना करके देय कर की राशि वसूल करने की कार्यवाही करनी होती है।

सात[8] प्रा.प. कार्यालयों/जि.प. कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 243 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में इनके स्वामियों द्वारा अप्रैल 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधि के विशेष पथ कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। आगे, उन प्रकरणों में, जहां कर का भुगतान नहीं किया गया, वाहन स्वामियों द्वारा वांछित घोषणायें भी प्रस्तुत नहीं की गई। कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की राशि 69.56 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

[7] प्रा.प. कार्यालय जोधपुर एवं उदयपुर; जि.प. कार्यालय ब्यावर एवं जयपुर (संविदा वाहन) ।

[8] प्रा.प. कार्यालय अलवर, जोधपुर एवं सीकर; जि.प. कार्यालय भीलवाड़ा, चुरू, डीडवाना एवं जयपुर (मंजिली वाहन) ।

जुलाई 2007 एवं जनवरी 2008 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जून 2008 में बताया कि 79 वाहनों के सम्बन्ध में राशि 12.15 लाख रुपये की वसूली कर ली गई। शेष मामलों में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

मामला मार्च 2008 एवं अप्रैल 2008 के मध्य सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

3.8 डम्परों/टिप्परों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये रा.मो.वा.क. नियमों के अन्तर्गत राज्य में उपयोग किये गये अथवा उपयोग हेतु रखे जाने वाले सभी मोटर वाहनों पर मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा।

प्रा.प. कार्यालय, उदयपुर तथा जि.प. कार्यालय (भार वाहन), जयपुर के अभिलेखों की मई 2007 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 70 डम्परों/टिप्परों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2004 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर की राशि 15.08 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

जून 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् जून 2008 में विभाग ने बताया कि 23 वाहनों के सम्बन्ध में 5.02 लाख रुपये की वसूली कर ली गई। शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

मामला मार्च 2008 में सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

3.9 एक मुश्त कर का कम आरोपण

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये रा.मो.वा.क. नियमों के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एक मुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा निधारित दरों पर किया जायेगा। अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2006 के अनुसार देय एक मुश्त कर का भुगतान, वाहन स्वामी के विकल्प पर, सम्पूर्ण एक साथ या एक वर्ष की अवधि में समान तीन किस्तों में किया जा सकेगा। चूक के प्रकरण में, भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जानी थी।

प्रा.प.कार्यालय, उदयपुर के वर्ष 2006-07 के अभिलेखों की दिसम्बर 2007 में की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 46 परिवहन वाहनों के स्वामियों ने एक मुश्त कर का भुगतान

तीन किस्तों में करने का विकल्प चुना। इन वाहन स्वामियों ने प्रथम किस्त का भुगतान किया लेकिन दूसरी एवं तीसरी किस्त या दोनों किस्तों के भुगतान करने में असफल रहें। कराधान अधिकारी ने देय कर की राशि को भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एक मुश्त कर की राशि 11.78 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

जनवरी 2008 में इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् जून 2008 में विभाग ने बताया कि 25 वाहनों के सम्बन्ध में राशि 7.05 लाख रुपये की वसूली कर ली गई। शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

मामला मार्च 2008 में सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008) ।

3.10 निजी सेवा वाहनों से कर की अवसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत "निजी सेवा वाहन" से तात्पर्य एक ऐसे मोटर वाहन से है जो चालक के अतिरिक्त छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूल हो तथा जिसका उपयोग स्वयं वाहन स्वामी द्वारा या उसके निमित्त उसके व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध में किया जाता हो । इन वाहनों के स्वामियों को मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर वार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में करना होता है।

जिला परिवहन अधिकारी (संविदा वाहन), जयपुर के वर्ष 2006-07 के अभिलेखों की जनवरी 2008 में की गयी संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 29 निजी सेवा वाहनों के स्वामियों ने वर्ष 2006-07 के दौरान कर का भुगतान नहीं किया। कराधान अधिकारी ने कर के आरोपण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की राशि 7.59 लाख रुपये की अवसूली रही।

फरवरी 2008 में प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् जून 2008 में विभाग ने बताया कि चार वाहनों के सम्बन्ध में राशि 1.01 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी। शेष प्रकरणों में की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008) ।

मामला मार्च 2008 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

अध्याय-IV: भू-राजस्व एवं विद्युत कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व एवं विद्युत कर विभागों के अभिलेखों की वर्ष 2007-08 के दौरान की गई मापक जांच में 2,911 प्रकरणों में 291.40 करोड़ रुपयों की अवसूली एवं राजस्व हानि इत्यादि प्रकट हुई, जो निम्न श्रेणियों में आती हैः

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
अ.	**भू-राजस्व**		
1.	**उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का आवंटन एवं विक्रय (समीक्षा)**	1	210.96
2.	खातेदारों से रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	173	0.59
3.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	94	3.45
4.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त, सीलिंग आदि भूमि की कीमत की अवसूली	1,198	21.74
5.	अन्य अनियमितताएं	244	32.36
6.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के प्रकरणों का अनियमितिकरण	1,200	0.81
ब.	**विद्युत कर**		
7.	विद्युत कर का कम आरोपण	1	21.49
	योग	**2,911**	**291.40**

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने 119 प्रकरणों से सम्बन्धित राशि 1.30 करोड़ रुपये के अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से राशि 9.08 लाख रुपये के 26 प्रकरण वर्ष 2007-08 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षो में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2007-08 के दौरान 593 प्रकरणों में राशि 7.15 करोड़ रुपये वसूल किये, जिनमें राशि 35.34 लाख रुपये के 33 प्रकरण वर्ष 2007-08 से तथा शेष पूर्व वर्षो से संबंधित थे।

"उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का आवंटन एवं विक्रय" की एक समीक्षा को सम्मिलित करते हुए, कुछ निदर्शी प्रकरण, जिनमें 260.68 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

अ. भू-राजस्व

4.2 उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का आवंटन एवं विक्रय

मुख्य-मुख्य बिन्दु

सरकारी भूमि के आवंटन के लिए विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए समय सीमा के अभाव के परिणामस्वरूप 64,847 आवेदन पत्र अनिस्तारित रहे।

(अनुच्छेद 4.2.9.1)

अस्थायी कृषि-कर्म पट्टा धारकों को स्थायी रूप से 35.81 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि का आवंटन नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व की अप्राप्ति रही।

(अनुच्छेद 4.2.10)

विभाग ने 45,524 आवंटियों से भूमि की कीमत की वसूली के लिए निश्चित किश्तों की न तो वसूली की और न ही भूमि के आवंटन आदेशों को निरस्त किया। इसके परिणामस्वरूप कुल 139.56 करोड़ रुपये के राजस्व की अप्राप्ति रही।

(अनुच्छेद 4.2.12)

24.57 करोड़ रुपये मूल्य की 38,625.56 बीघा सरकारी भूमि के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि यह 12,069 अतिचारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से उपयोग में ली गयी थी।

(अनुच्छेद 4.2.16.1)

4.2.1 प्रस्तावना

उपनिवेशन क्षेत्रों[1] मे भूमि के आवंटन, बिक्री एवं भूमि के उपयुक्त प्रबन्ध के लिये उपनिवेशन विभाग का सृजन मई 1955 में किया गया था। कमान्ड एवं अनकमान्ड[2] क्षेत्रों में उपनिवेशन विभाग (सी.डी.) की प्राप्तियां राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (अधिनियम) एवं इसके अधीन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं आदेशों द्वारा विनियमित की जाती हैं। विभाग की राजस्व प्राप्तियां मुख्य रूप से विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में आने वाली भूमि के आवंटन, बिक्री, नीलामी एवं नियमन से आती हैं।

---

[1] उपनिवेशन क्षेत्र का संदर्भ मुख्य सिचाई परियोजना, जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, से सम्बन्धित अधिसूचित भूमि है ।

[2] कमान्ड एवं अनकमान्ड भूमि से अभिप्राय सिंचाई विभाग द्वारा उनके कमान्ड एवं अनकमान्ड विवरण में दर्शायी गयी भूमि से है अर्थात् कमान्ड भूमि का अभिप्राय सिंचित भूमि से तथा अनकमान्ड भूमि का अभिप्राय असिंचित भूमि से है ।

राजस्थान में छः वृहद सिंचाई परियोजनायें[3] हैं, इनमें से पांच वृहद सिंचाई परियोजनाओं में उपनिवेशन कार्य पूर्ण हो चुका था तथा इन परियोजनाओं में आने वाले क्षेत्रों को सम्बन्धित अभिलेखों सहित राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। एक परियोजना यथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इं.गां.न.प.) चरण-II, उपनिवेशन विभाग के नियंत्रणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 35 मध्यम एवं 74 लघु सिंचाई परियोजनायें राजस्थान के 21 जिलों में फैली हुई हैं। ये क्षेत्र राजस्व मण्डल (बी.ओ.आर.) के नियंत्रणाधीन हैं।

भूमि के आवंटन एवं विक्रय से सम्बन्धित उपनिवेशन विभाग की कार्यप्रणाली पर समीक्षा की गई। प्रणाली एवं अनुपालना की अनेक कमियां ध्यान में आयी, जिनका अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

उपनिवेशन आयुक्त (सी.सी.) विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है। तीन अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्तों, तीन उप-उपनिवेशन आयुक्तों (डी.सी.सी.) और पांच सहायक उपनिवेशन आयुक्तों (ए.सी.सी.) के द्वारा उसका सहयोग किया जाता है।

पांच वृहद परियोजनाओं[4] के अन्तर्गत (जवाई परियोजना को छोड़कर जहां आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं थी) 10 उपनिवेशन तहसीलें[5] सी.डी. के तथा 31 राजस्व तहसीलें[6] बो.ओ.आर. के नियंत्रणाधीन हैं। बी.ओ.आर. का प्रमुख चेयरमेन होता है। सम्बन्धित जिलों के कलक्टरों द्वारा उसका सहयोग किया जाता है। सम्बन्धित कलक्टरों के नियंत्रणाधीन उप खण्डीय अधिकारी, आवंटन प्राधिकारी (ए.ए.) हैं। शासन के स्तर पर प्रमुख सचिव, राजस्व, प्रशासनिक प्राधिकारी है।

4.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

आयुक्त, उपनिवेशन कार्यालय में, विभाग की 10 उपनिवेशन तहसीलों के अतिरिक्त 31 में से 10 राजस्व तहसीलों[7] सहित सम्बन्धित आवंटन प्राधिकारियों के कार्यालयों में वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए समीक्षा, अगस्त 2007 से अप्रेल 2008 के दौरान की गई। राजस्व तहसीलों का चयन, आकार

---

[3] भाखड़ा परियोजना, चम्बल परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इं.गां.न.प.), जवाई परियोजना एवं माही परियोजना ।

[4] भाखड़ा परियोजना, चम्बल परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इं.गां.न.प.) एवं माही परियोजना ।

[5] जैसलमेर, कोलायत I, II, III, मोहनगढ़ I, II, नाचना I, II, रामगढ़ I, एवं II ।

[6] अनूपगढ़, बागीडोरा, बांसवाडा, भादरा, बीकानेर, बून्दी, चित्तोड़गढ़, दीगोद, गढ़ी, घड़साना, घाटोल, हनुमानगढ़, करणपुर, केशोरायपाटन, खाजूवाला, लाड़पुरा, लूणकरणसर, नोहर, पदमपुर, पीलीबंगा, पीपल्दा, पूगल, रायसिंहनगर, रावतसर, संगरिया, सादुल शहर, सांगोद, श्रीगंगानगर, श्रीविजयनगर, सूरतगढ़, एवं टिब्बी ।

[7] बागीडोरा, छत्तरगढ़, घाटोल, हनुमानगढ़, केशोरायपाटन, लाडपुरा, नोहर, रावतसर, श्रीविजयनगर एवं सूरतगढ़ ।

की आनुपातिक संभावना के साथ ही सेम्पलिंग की पुनःस्थापन विधि के आधार पर किया गया था।

4.2.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा यह पता लगाने हेतु की गई कि क्याः

- भूमि आवंटन के लिये उपयुक्त योजना अस्तित्व में थीं;
- अस्थायी कृषि-कर्म पट्टे धारकों (टी.सीज.) को स्थायी आधार पर भूमि आवंटन किया गया तथा उनसे राजस्व वसूल किया गया था;
- भूमि की कीमत एवं अन्य बकाया की प्रभावी वसूली हेतु प्रणाली अस्तित्व में थी;
- दोषी आवंटियों के विरूद्ध समय पर एवं उचित कार्यवाही आरम्भ की गई थी, तथा
- सरकारी भूमि के अनाधिकृत काबिजों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई थी।

4.2.5 आभार

लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के उपनिवेशन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग आभार प्रकट करता है। एक आरम्भिक सम्मेलन का आयोजन 29 नवम्बर 2007 को आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के कार्यालय में हुआ, जहां समीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। समीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप को मई 2008 में विभाग एवं सरकार को प्रेषित किया गया जिसकी जुलाई 2008 में लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई। सरकार का प्रतिनिधित्व उप सचिव, राजस्व तथा विभाग का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा किया गया। सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को समीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया है।

4.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

राजस्व प्राप्ति के अनुमान आगामी वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली संभावित राशियों को दर्शाने वाले होने चाहियें। बजट नियमावली के अनुसार वास्तविक मांग जिसका पूर्वानुमान किया जा सके, चालू वर्ष के अंत तक संग्रहण से लम्बित रहने वाली बकाया मांग एवं आनुपातिक चालू मांग एवं बकाया जिसे आगामी वर्ष के दौरान वसूल किया जाना संभावित हो, को बजट अनुमान (बी.ई.) तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना होता है। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि अनुमानों को तैयार करने के लिये ए.ए. से आवश्यक सूचनायें प्राप्त नहीं की गई।

वर्ष 2003-04 से 2006-07 की अवधि के लिये बजट अनुमानों एवं मांग की तुलना नीचे उल्लेखित है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बकाया राशि का प्रारंभिक शेष	वर्तमान मांग	योग	बजट अनुमान	कुल मांग का बजट अनुमानों में प्रतिशत	वास्तविक प्राप्तियां
2003-04	66.91	54.23	121.14	65.00	54	32.74
2004-05	88.40	42.38	130.78	75.00	57	9.16
2005-06	126.95[8]	17.51	144.46	50.00	35	23.42
2006-07	121.04	27.17	148.21	55.00	37	22.89

उक्त तालिका से देखा गया कि बजट अनुमानों को बिना किसी आधार के तैयार किया गया था, तथा बजट अनुमानों का न तो संपूर्ण मांग से एवं न ही गत वर्षो की प्राप्तियों से कोई सम्बन्ध था।

सरकार वास्तविक बजट अनुमानों को तैयार करने के लिये एक प्रणाली का विकास करे एवं प्रभावी कदम उठावें।

4.2.7 असंग्रहित राजस्व

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2007 को 125.32 करोड़ रुपये की वसूली लम्बित थी। वर्षवार लम्बित राशि का विवरण नीचे उल्लेखित है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	योग	की गई वसूली	असंग्रहित राजस्व
2003-04	66.91	54.23	121.14	32.74	88.40
2004-05	88.40	42.38	130.78	9.16	121.62
2005-06	126.95[9]	17.51	144.46	23.42	121.04
2006-07	121.04	27.17	148.21	22.89	125.32

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2006-07 के अंत तक बकाया में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 10 उपनिवेशन तहसीलों के मांग विवरण पत्रों से आगे पता चला कि 31 मार्च 2007 को आवंटियों के विरूद्ध 139.56 करोड़ रुपये की राशि संग्रहण हेतु लम्बित थी, जबकि विभागीय आँकड़ों के

[8] वर्ष 2005-06 में आयुक्त, उपनिवेशन से तहसील के अभिलेखों के मिलान के कारण बकाया मांग में वृद्धि हुई ।

[9] वर्ष 2005-06 में आयुक्त, उपनिवेशन से तहसील के अभिलेखों के मिलान के कारण बकाया मांग में वृद्धि हुई ।

अनुसार, बकाया राशि मात्र 125.32 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार असंग्रहित राजस्व का लेखांकन 14.24 करोड़ रुपये कम किया गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रणाली की कमियां

4.2.8 चक प्लान तैयार नहीं करना एवं अधिसूचना जारी करने में विलम्ब

कृषकों को भूमि के आवंटन के लिए उपनिवेशन विभाग (सी.डी.) जिम्मेदार है। जैसे ही सिंचाई परियोजना पूर्ण होती है एक प्लान, जिसे "चक प्लान" कहते हैं, तैयार करने हेतु सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग (सी.ए.डी.) द्वारा क्षेत्र का एक विस्तृत सर्वे किया जाता है। ये चक प्लान कृषि कर्म, सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों हेतु क्षेत्रों को अलग से दर्शाते हैं। सरकारी भूमि के आवंटन एवं विक्रय के लिये ये उपनिवेशन विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुआ कि उपनिवेशन विभाग एवं सी.ए.डी. में चक प्लान तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में कोई समन्वय नहीं था। उपनिवेशन विभाग उसको प्रस्तुत किए जाने वाले कुल चक प्लानों से अनभिज्ञ था। चक प्लान प्रस्तुत करने अथवा चक प्लान प्राप्त होने के पश्चात् भूमि के आवंटन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

4.2.8.1 सी.डी. के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इं.गां.न.प. चरण-I एवं II में सी.ए.डी. द्वारा 50.28 लाख हैक्टेयर भूमि के चक प्लान तैयार करने की आवश्यकता थी जिसमें से मात्र 33.37 लाख हैक्टेयर भूमि के चक प्लान तैयार किये गये। सी.ए.डी. द्वारा सर्वे के अभाव में 16.91 लाख हैक्टेयर भूमि के चक प्लान तैयार नहीं किये गये।

4.2.8.2 सी.सी. के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उन्नत सिंचाई सुविधाओं युक्त 199 चक प्लान सी.ए.डी. से प्राप्त हुये। इनमें से, 64 चक प्लान भूमि के आवंटन हेतु एक वर्ष से 10 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् अधिसूचित हुए, जबकि शेष 135 प्रकरणों में एक से 10 वर्ष समाप्त होने के पश्चात् भी अधिसूचनाएँ जारी नहीं हुई।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2008) किया एवं बताया कि प्रत्येक चक प्लान के प्रस्तावों एवं अधिसूचनाओं को छः माह के अन्दर अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये।

चक प्लानों को सी.ए.डी. द्वारा अंतिम रूप देने हेतु एवं सी.ए.डी. से चक प्लानों की प्राप्ति के पश्चात् उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि के आवंटन की अधिसूचनाओं को जारी करने हेतु सरकार समय सीमा निर्धारित करे।

4.2.9 आवेदनों के निस्तारण में समय सीमा का अभाव/ भूमि के आवंटन में कमी

राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 (इं.गां.न.प. नियम) के नियम 10 में निर्धारित है कि सम्बन्धित क्षेत्र के आवंटन अधिकारी को सरकारी भूमि के आवंटन हेतु कोई भी योग्य व्यक्ति

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है। अधिनियम एवं नियमों में इन आवेदनों के निस्तारण एवं भूमि के आवंटन हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है।

4.2.9.1 सी.सी. के अभिलेखों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि 31.3.2007 को इं.गां.न.प. में कृषि भूमि के आवंटन हेतु 64,847 आवेदन पत्र निम्नानुसार लम्बित थे:

वर्ष	आवेदनों पत्रों का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	योग	वर्ष के दौरान निस्तारण	अंतिम शेष	कुल आवेदन पत्रों के निस्तारण का प्रतिशत
2003-04	3,862	62,607	66,469	4,871	61,598	7
2004-05	61,598	5,354	66,952	2,438	64,514	4
2005-06	64,514	1,741	66,255	815	65,440	1
2006-07	65,440	2,563	68,003	3,156	64,847	5

उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निराशाजनक था तथा यह एक से सात प्रतिशत के मध्य रहा।

4.2.9.2 इं.गां.न.प. चरण-II के सम्बन्ध में सरकार ने भूमि आवंटन के लक्ष्य निर्धारित किये थे। भूमि आवंटन के निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति नीचे उल्लेखित है:

वर्ष	लक्ष्य		प्राप्ति		कमी		कमी का प्रतिशत	
	कृषि योग्य भूमि (हैक्टेयर)	आवासीय भूखण्ड (संख्या)	कृषि योग्य भूमि (हैक्टेयर)	आवासीय भूखण्ड (संख्या)	कृषि योग्य भूमि (हैक्टेयर)	आवासीय भूखण्ड (संख्या)	कृषि योग्य भूमि	आवासीय भूखण्ड
2003-04	28,000	10,700	19,029	1,078	8,971	9, 622	32	90
2004-05	50,000	10,900	33,094	2,278	16,906	8,622	34	79
2005-06	50,000	10,900	8,890	200	41,110	10,700	82	98
2006-07	35,000	9,500	11,531	75	23,469	9,425	67	99

इस प्रकार कमी का प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के सम्बन्ध में 32 से 82 प्रतिशत के मध्य तथा आवासीय भूखण्डों के सम्बन्ध में 79 से 99 प्रतिशत के मध्य रहा। आवंटन हेतु भूमि की उपलब्धता एवं आवेदनों को लम्बित रहने के उपरान्त भी विभाग स्वयं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2008) परन्तु भूमि के शीघ्र आवंटन हेतु किये गये प्रयासों से अवगत नहीं कराया गया।

कृषकों को भूमि आवंटन के आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिये सरकार एक समय सीमा निर्दिष्ट करे तथा भूमि के त्वरित आवंटन हेतु नीति बनाये।

4.2.10 अस्थायी कृषि-कर्म पट्टा धारकों (टी.सीज.) को स्थायी आधार पर भूमि आवंटन नहीं करना

इं.गां.न.प., गंग नहर एवं भाखड़ा नहर परियोजना के नियमों में अधिसूचना क्रमशः दिनांक 26 नवम्बर 2004, 23 जनवरी 2003 तथा 8 जनवरी 2003 द्वारा सरकार ने संशोधन किया एवं प्रावधान किया कि टी. सीज., जिन्हें अस्थायी कृषि कर्म हेतु भूमि दी गई थी, वे नियमों में नियत उपबन्धों एवं शर्तो पर स्थायी आधार पर भूमि के आवंटन के योग्य थे। लेखापरीक्षा को दृष्टिगोचर हुआ कि टी.सीज. को भूमि आवंटन की प्रगति की देखरेख हेतु सी.सी. द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी।

पांच उपनिवेशन तहसीलों[10] एवं सात राजस्व तहसीलों[11] से संकलित सूचना के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2007 को, 4,250.90 बीघा कमान्ड, 950.11 बीघा अनकमान्ड तथा 1,59,742.30 बीघा बारानी भूमि अस्थायी कृषि कर्म पट्टे के आधार पर 5,590 कृषकों, जिन्होने वर्ष 1976 एवं 1986 के मध्य कब्जा किया था, के लगातार स्वामित्व में अब तक (जुलाई 2008) थी। आवंटन अधिकारी के स्तर पर अथवा उपनिवेशन विभाग द्वारा टी.सीज. को स्थायी आधार पर भूमि के आवंटन हेतु कोई मोनिटरिंग नहीं की गई थी। इन टी.सीज. में से किसी को स्थायी आधार पर भूमि आवंटित नहीं की गई थी (अप्रेल 2008) । परिणामस्वरूप, भूमि की कीमत के 35.81 करोड़ रुपये चुकायें बिना कृषकों ने सरकारी भूमि का लाभ प्राप्त किया।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2008) एवं बताया कि आवश्यक कार्यवाही हेतु कदम उठाये जायेंगे। तथापि, इस प्रकार की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय सीमा के बारे में उत्तर मौन था।

आवधिक विवरणियों को एवं टी.सीज. द्वारा अधिगृहित भूमि के निस्तारण की मोनिटरिंग के लिए अन्य जांचो को निर्धारित करते हुए सरकार विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करे।

4.2.11 नियमों में संशोधन किये बिना एमनेस्टी स्कीम को आरम्भ करना

अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है कि प्रत्येक बनाया गया अथवा संशोधित नियम राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जावेगा तथा इसको प्रभाव में लाने के लिए राजकीय गजट में अधिसूचित करना होगा। मार्च 2001 में सरकार ने एक एमनेस्टी स्कीम को आरम्भ करने के लिए एक आदेश जारी किया, जिसमें इं.गां.न.प. चरण-II के समस्त श्रेणी के आवंटनों के लिये बकाया किश्तों के पुनर्निर्धारण एवं ब्याज माफी का प्रावधान था। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि इं.गां.न.प. नियम 1975 में संशोधन किये बिना सरकार ने एमनेस्टी स्कीम को आरम्भ किया। नियमों में ब्याज की माफी अथवा किश्तों के पुनर्निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं था। अतः राजकीय गजट में अधिसूचना के बिना 38.77 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज की माफी अनियमित थी।

[10] कोलायत I, II, III, मोहनगढ़ I एवं नाचना I

[11] अनूपगढ़, नोहर, पीलीबंगा, रावतसर, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर एवं सूरतगढ़ ।

अनुपालना में कमियां

4.2.12 किश्तों की वसूली में विफलता

इं.गां.न.प. नियम के प्रावधान के अन्तर्गत, आवंटन अधिकारी द्वारा निर्धारित दो लगातार किश्तों को जमा कराने में यदि आवंटी विफल रहता है तो आवंटन अधिकारी के स्वविवेक पर भूमि का आवंटन निरस्त योग्य है।

सी.सी. से प्राप्त की गई सूचना से प्रकट होता है कि 31 मार्च 2007 तक इं.गां.न.प. चरण-II की 10 उपनिवेशन तहसीलों में 76,989 आवंटियों को 4,30,026 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया जिनमें से 45,524 आवंटी, विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार दो अथवा अधिक किश्तों को चुकानें में विफल रहे। आवंटनों को निरस्त करने एवं अन्य योग्य व्यक्तियों को पुनः आवंटन का विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 139.56 करोड़ रुपये की बकाया राशि की अवसूली नीचे दर्शाये अनुसार रही:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	तहसीलों के नाम	आवंटियों की संख्या	आवंटित भूमि (हैक्टेयर)	दोषियों की संख्या	बकाया राशि	राशि बकाया (वर्ष से)
1.	कोलायत -1	6,827	42,699	962	4.25	1992-93
2.	कोलायत-2	5,694	34,688	1,458	4.03	1993-94
3.	कोलायत-3	5,449	31,965	1,703	2.32	1992-93
4.	नाचना-1	8,750	48,002	5,545	12.07	1994-95
5.	नाचना-2	5,947	32,266	4,738	7.21	1995-96
6.	मोहनगढ़-1	14,866	81,605	10,005	46.43	1997-98
7.	मोहनगढ़-2	14,396	77,176	9,979	30.52	1993-94
8.	रामगढ़-1	7,673	42,108	5,767	20.23	1993-94
9.	रामगढ़-2	6,213	33,264	4,779	11.71	1993-94
10.	जैसलमेर	1,174	6,253	588	0.79	2001-02
	योग	**76,989**	**4,30,026**	**45,524**	**139.56**	

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने जुलाई 2008 में बताया कि 18.01 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008) ।

4.2.13 आवंटन निरस्तीकरण के बाद पुनः आवंटन नहीं करना

इं.गां.न.प. नियम के नियम 17(8) के अनुसार दी गई परिस्थितियों में आवंटन अधिकारी को मूल आवंटन को निरस्त कर अन्य योग्य व्यक्ति को पुनः आवंटन करने का अधिकार है।

चार राजस्व तहसीलों एवं दो उपनिवेशन तहसीलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आवंटन अधिकारी ने वर्ष 1976 से 2006 के दौरान 5,892.60 बीघा कमान्ड तथा 6,688.35 बीघा अनकमान्ड भूमि के 698 आवंटन निरस्त किए। तथापि, यह भूमि मार्च 2008 तक पुनः आवंटित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 9.16 करोड़ रुपये की राजस्व की अवसूली रही जैसा नीचे उल्लेखित है:

क्र.सं.	तहसीलों के नाम	आवंटियों की संख्या	क्षेत्र(बीघा)		भूमि की कीमत (लाख रुपयों में)
			कमान्ड	अनकमान्ड	
1.	सूरतगढ़	34	144.65	488.50	37.80
2.	अनूपगढ़	22	334.85	287.40	62.20
3.	घड़साना	533	3,462.15	5,555.95	720.62
4.	लूणकरणसर	23	91.60	141.00	18.88
5.	नाचना	46	1,186.10	215.50	49.17
6.	मोहनगढ़ -II	40	673.25	-	26.93
	योग	**698**	**5,892.60**	**6,688.35**	**915.60**

4.2.14 अभिलेख संधारण का अभाव

राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 226 के अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों को आवंटन हेतु आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि का रिकार्ड एक पंजिका "प्रारूप 0-14" में प्रत्येक तहसील में संधारण किया जाना आवश्यक है।

संवीक्षा में प्रकट हुआ कि तीन उपनिवेशन तहसीलों[12] एवं दो राजस्व तहसीलों[13] में सरकारी भूमि का यह रजिस्टर संधारित नहीं पाया गया। इस मूल अभिलेख के अभाव में इन तहसीलों में उपलब्ध सरकारी भूमि की विस्तृत स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकी।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने बताया कि संबंधित रजिस्टर के संधारण हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे।

4.2.15 छोटे टुकड़ों के आवंटन में भूमि की कीमत की कम वसूली

राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1984 के नियम 11 के अन्तर्गत भूमि के छोटे टुकड़े का आवंटन पड़ोस की समरूपी भूमि वर्ग की आरक्षित कीमत की दुगुने पर किया जाना है।

बागीडोरा एवं घाटोल तहसीलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 50.58 हैक्टेयर कमान्ड भूमि को छोटे टुकड़ों में 165 आवंटियों को आरक्षित दर से दुगुनी के स्थान पर आरक्षित दर पर दिसम्बर 2004 एवं फरवरी 2006 के मध्य आवंटित किया। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत के 8.76 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

---

[12] कोलायत II, कोलायत III एवं मोहनगढ़ I

[13] घाटोल एवं सांगोद ।

4.2.16 उपनिवेशन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

4.2.16.1 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कॉलोनी क्षेत्र में किसी भूमि पर, जिसके लिए उसके पास कोई अधिकार, मालिकाना हक नहीं है या बिना कानूनी प्राधिकार के काबिज है या लगातार काबिज रहता है अतिचारी माना जावेगा एवं जिला कलक्टर द्वारा उसे शीघ्रता से बेदखल किया जा सकता है।

दस उपनिवेशन तहसीलों एवं 10 राजस्व तहसीलों[14] के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2007 को 24.57 करोड़ रुपये मूल्य की 38,625.56 बीघा भूमि वर्ष 1986 से 12,069 अतिचारियों के अनाधिकृत कब्जे में थी। विभाग द्वारा प्रति वर्ष भूमि से अतिचारियों को बेदखल करने के पश्चात् खाली करा लिया जाता था परन्तु उसी व्यक्ति या किसी अन्य द्वारा पुनः अगले ही वर्ष उस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। विभाग ने भूमि के निस्तारण की कोई कार्यवाही नहीं की।

4.2.16.2 आबादी हेतु भूमि का अनाधिकृत उपयोग

सरकारी आदेश (जुलाई 1974) के अनुसार, कलक्टर को परियोजना क्षेत्र में आबादी विस्तार हेतु स्थानीय निकायों जैसे नगर सुधार न्यास, नगरपालिका बोर्ड एवं ग्राम पंचायत को भूमि की निर्धारित आरक्षित कीमत के भुगतान पर सरकारी भूमि का आवंटन करने का अधिकार दिया गया है।

हनुमानगढ़ तहसील के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1.77 करोड़ रुपये मूल्य की 62 हैक्टेयर सरकारी भूमि अनाधिकृत रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग की गई थी। सम्बन्धित तहसीलों में काबिजों की संख्या अथवा अन्य विवरण उपलब्ध नहीं था। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह इंगित हो कि विभाग द्वारा भूमि पर अनियमित काबिजों को बेदखल करने हेतु कभी कोई प्रयास किया गया था।

4.2.17 निष्कर्ष

आवंटन योग्य भूमि की अधिसूचना जारी करने अथवा भूमि के आवंटन हेतु आवेदनों के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, अत्यधिक विलम्ब से अधिसूचनायें जारी की गई एवं कई वर्षो तक आवेदन लंबित रहे। कृषि योग्य भूमि एवं आवासीय भूखण्डों के आवंटन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभाग विफल रहा। अस्थायी कृषि कर्म पट्टा धारकों को नियमित करने की गति बहुत धीमी थी जिसके कारण राजस्व वसूल नहीं हुआ। वसूली प्रणाली में कमी थी एवं वसूली को प्रोत्साहन देने हेतु एमनेस्टी स्कीम को आरम्भ करना अनियमित था यहां तक कि अधिनियम के अनुसार आवश्यक होने पर भी इसे सरकारी गजट में अधिसूचित नहीं किया गया। भुगतानों में लगातार दोषो के उपरान्त भी इन आवंटनों को निरस्त करने

[14] बागीडोरा, छतरगढ़, घाटोल, हनुमानगढ़, केशोरायपाटन, लाडपुरा, नोहर, रावतसर, श्रीविजयनगर एवं सूरतगढ़ ।

के प्रयास नहीं किए गए। निरस्तीकरण के पश्चात् भूमि का पुनः आवंटन करने में भी विभाग विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप न केवल राजस्व अवरूद्ध हो गया बल्कि अनाधिकृत कब्जों को बढ़ावा मिला। कॉलोनी क्षेत्रों में अतिचारियों को बेदखल एवं नियंत्रण करने में भी विभाग विफल रहा।

4.2.18 सिफारिशों का सार

सरकार विचार करेः

- सी.ए.डी. से चक प्लान प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन योग्य भूमि को अधिसूचित करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने हेतु;
- कृषि कर्मियों को भूमि आवंटन के आवेदनों के निस्तारण के लिए समय सीमा को निर्दिष्ट करने एवं ऐसे आवंटन पर गतिशील एवं त्वरित कार्यवाही के लिए नीति बनाने हेतु;
- अधिनियम अथवा नियमों में निर्धारित मूल अभिलेखों का प्रत्येक तहसील में संधारण सुनिश्चत करने हेतु;
- उपयुक्त उपायों द्वारा सरकारी भूमि को अनाधिकृंत कब्जे से मुक्त कराने हेतु; तथा
- नियमानुसार आवंटियों से त्वरित वसूली तथा टी.सीज. द्वारा धारित भूमि के निस्तारण के साथ अन्य वैधानिक प्रावधानों की मोनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु आवधिक विवरणियों एवं अन्य जांचों कों निर्धारित कर विभाग के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने हेतु।

4.3 दूरसंचार विभाग को आवंटित भूमि के मूल्य का कम आरोपण

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 2 मार्च 1987 को जारी परिपत्र के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा इसकी एजेन्सियों को शहरी क्षेत्र एवं उसकी परिधि में वाणिज्यिक कार्य प्रयोजनार्थ आवंटित राजकीय भूमि की कीमत, जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक दर से प्रभार्य थी।

तहसील जालोर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1.61 हैक्टेयर का भूखण्ड वाणिज्यिक उपयोग हेतु दूरसंचार विभाग को जिला कलक्टर, जालोर के आदेश दिनांक 2 अगस्त 2000 से आवंटित किया गया। भूमि का मालिकाना हक दूरसंचार विभाग को 20 फरवरी 2007 को हस्तान्तरित किया गया। विभाग ने भूखण्ड का मूल्य वाणिज्यिक दर के स्थान पर कृषि दर से वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत राशि 15.38 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

मामले को सितम्बर 2006 में ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने जुलाई 2008 में बताया कि भूमि का आवंटन स्टोर, कार्यालय एवं आवासीय उपयोग हेतु किया गया था

तथा मूल्यांकन सही नहीं था क्योंकि नजदीक के क्षेत्र की डी.एल.सी. दर लेखापरीक्षा द्वारा लगाई गई दर से कम थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवंटन आदेश में प्रत्येक उद्देश्य के लिए क्षेत्र विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था तथा विभाग ने आवासीय/ वाणिज्यिक दर के स्थान पर कृषि दर लगाई थी जिसके लिये कोई कारण नहीं बताये गये।

मामला अप्रेल 2008 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर अपेक्षित था (अक्टूबर 2008)।

4.4 अर्थदण्ड का अनारोपण

राजस्थान भू-राजस्व (आर.एल.आर.) (कृषि योग्य का अकृषि योग्य भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 सपठित आर.एल.आर. (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के अनुसार बिना सरकार की पूर्व अनुमति के फैक्ट्री या मिल के निर्माण या लघु उद्योग या पर्यटन इकाई की स्थापना के लिये कृषि भूमि के उपयोग को कलक्टर नियमित कर सकता है। 1961 के नियमों के नियम 7 में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में नियमितिकरण, अर्थदण्ड, जो पड़ोस में स्थित आबादी भूमि के प्रचलित अधिकतम बाजार मूल्य के पांच गुणा से कम नहीं हो, के भुगतान पर किया जा सकेगा।

तहसील जालोर के अप्रेल 2004 से मार्च 2006 की अवधि के अभिलेखों की अगस्त 2006 में संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राजफेड[15] सरसो आयल मिल (मिल) ने फरवरी 1987 में जालोर शहर में स्वयं की खातेदारी[16] की 28 बीघा 5 बिस्वा (4,92,228 वर्गफीट) माप की भूमि पर मिल निर्माण का आरम्भ कलक्टर की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किया। मई 1987 में राजफेड ने भूमि नियमितिकरण हेतु आवेदन किया। इसके बाद फरवरी 2006 में कलक्टर द्वारा इसे नियमित कर दिया गया। तथापि, आबादी भूमि के मूल्य के पांच गुणा के बराबर अर्थदण्ड वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप राशि 11.81[17] करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का अनारोपण/अवसूली रही।

सितम्बर 2006 में प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने अगस्त 2008 में बताया कि कोई अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं था, क्योंकि नियमितिकरण के आवेदन पर आदेश जारी होना लंबित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिल मालिक ने निर्माण प्रारम्भ करने के तीन माह बाद भूमि के संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया था। अतः निर्धारित अर्थदण्ड आरोपणीय था।

4.5 भूमि की कीमत का कम आरोपण

4.5.1 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30 अगस्त 2006 की अनुपालना में जिला कलक्टर, अलवर द्वारा 29.93 हैक्टेयर भूमि (10 हैक्टेयर अर्थात् 39.54 बीघा तहसील बहरोड़ के ग्राम जैनपुरबास में तथा 19.93 हैक्टेयर अर्थात् 78.81 बीघा ग्राम माजराकाठ

---

[15] राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड ।

[16] किसी व्यक्ति द्वारा सरकार से काश्तकारी अधिकार प्राप्त धारित भूमि खातेदारी भूमि कहलाती है ।

[17] 4,92,228 वर्ग फीट x 48 रुपये प्रति वर्ग फीट x 5 ।

में) गोम्बर एजुकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली को डी.एल.सी. दरों के अनुसार भूमि की कीमत के भुगतान पर आवंटित (6 सितम्बर 2006) की गई। ग्राम जैनपुरबास की डी.एल.सी दरें किसी फर्म, फैक्ट्री अथवा संस्थान द्वारा कृषि भूमि क्रय करने पर कृषि भूमि की प्रचलित दरों की डेढ गुणा थी।

सितम्बर 2007 में तहसील बहरोड़ (अलवर) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने दोनो ग्रामों में आवंटित भूमि की कीमत के 6.04 करोड़ रुपये के स्थान पर 5.47 करोड़ रुपये प्रभारित किए। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत के 57.02 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने जुलाई 2008 में बताया कि समस्त राशि की मांग कायम की जा चुकी है। राशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

4.5.2 राज्य सरकार ने उनके आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2005 द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) को डी.एल.सी. दरों पर भूमि की कीमत के भुगतान पर भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की।

तहसील अजमेर के 2005-07 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि शासकीय आदेश की अनुपालना में जिला कलक्टर अजमेर ने 15 मार्च 2007 को ग्राम गनाहेड़ा में 50 बीघा असिंचित कृषि भूमि पर्यटन ग्राम विकसित करने हेतु आर.टी.डी.सी. को आवंटित की। गनाहेड़ा ग्राम की असिंचित कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर 1 लाख रुपये प्रति बीघा थी। इसके अनुसार, 50 बीघा भूमि के 50 लाख रुपये देय थे, जबकि आर.टी.डी.सी. ने मात्र 25 लाख रुपये का भुगतान किया। विभाग द्वारा शेष राशि की न तो मांग कायमी की गई न ही वसूली की गई। इसके परिणामस्वरूप 25 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

मामले को जून 2007 में ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में आक्षेप को स्वीकार करते हुए बताया कि राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

मामला मार्च 2008 में सरकार को सूचित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

4.5.3 आर.एल.आर. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2006 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें डी.एल.सी. भूमि दर का 40 प्रतिशत प्रभारित करने तथा सरकारी लेखों में राशि जमा कराने पर किसी सवाई चक[18] या अन्य सरकारी भूमि नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) को आवंटन करने की शक्ति कलक्टर को प्रदान की।

तहसीलदार, गिर्वा (उदयपुर) के अप्रेल 2005 से मार्च 2007 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ग्राम बड़गांव की 5.4950 हैक्टेयर (25.428 बीघा) माप की सरकारी भूमि कलक्टर, उदयपुर द्वारा 8 सितम्बर 2005 को यू.आई.टी., उदयपुर को हस्तान्तरित की गई। विभाग ने डी.एल.सी. दर के 40 प्रतिशत 15.26 लाख रुपये

[18] कब्जा रहित सरकारी कृषि भूमि।

के स्थान पर भूमि के किराये (लगान) का 40 गुना 816 रुपये वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप 15.25[19] लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

अगस्त 2007 में यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने अगस्त 2008 में बताया कि 15.25 लाख रुपये की मांग कायम कर दी गयी।

4.5.4 आर.एल.आर. (स्कूलों, कॉलेजों, डिस्पेन्सरियों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु कब्जा रहित सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 3 (ii)(अ) के अनुसार गैर-सरकारी संस्थानों को कस्बा अथवा शहर की नगरपालिका सीमा में स्थित भूमि का आवंटन, पंजीयन के उद्देश्य से निर्धारित इण्डैक्स मूल्य के अनुसार निर्धारित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के समतुल्य प्रीमियम पर किया जावेगा।

मई 2007 में तहसील अजमेर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जिला कलक्टर, अजमेर ने जून 2006 में एक शिक्षण संस्थान को 10 बीघा माप का भूखण्ड (पुष्कर के आबादी क्षेत्र के पास) आवंटित किया। संस्थान ने भूमि की कीमत के 18 लाख रुपये[20] के स्थान पर मात्र 10.87 लाख रुपये जमा कराये। विभाग ने शेष राशि के लिये न तो मांग कायम की और न ही वसूली की। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत के 7.13 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण जून 2007 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा मार्च 2008 में सरकार को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2008)।

ब. विद्युत कर

4.6 विद्युत कर का कम आरोपण

राजस्थान विद्युत (कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से विद्युत कर आरोपित किया जायेगा एवं राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा। स्थिर दर कृषि उपभोक्ताओं को जुलाई 2004 से विद्युत शुल्क स्थिर दर की पांच प्रतिशत से देय था। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने स्थिर दर कृषि उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में ऊर्जा प्रभार की मासिक दरों को 85 रुपये प्रति हार्स पावर से 140 रुपये प्रति हार्स पावर संशोधित (दिसम्बर 2004) किया। सरकार ने, तथापि, स्थिर दर कृषि उपभोक्ताओं से संशोधन पूर्व दरों के अनुसार ऊर्जा प्रभार वसूल करने तथा ऊर्जा प्रभार अन्तर की राशि पुनर्भरण करने का निर्णय (दिसम्बर 2004) किया। सरकार के आदेश में स्थिर दर कृषि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये जाने वाले विद्युत कर में छूट का उल्लेख नहीं था।

---

[19] 1.50 लाख रुपये प्रति बीघा की दर (डी.एल.सी. दर) से 25.428 बीघा = 38.14 लाख रुपये ।
38.14 लाख रुपये का 40 प्रतिशत= 15.26 लाख रुपये - 0.01 लाख रुपये=15.25 लाख रुपये ।

[20] 2.40 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से 10 बीघा भूमि की लागत का 75 प्रतिशत ।

अभिलेखों की अप्रेल 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कंपनियों द्वारा विद्युत कर 140 रुपये प्रति हार्स पावर की संशोधित दरों के बजाय संशोधन पूर्व की 85 रुपये प्रति हार्स पावर की स्थिर दरों से वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप सभी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जनवरी 2005 एवं दिसम्बर 2007 की अवधि के दौरान 21.49 करोड़[21] रुपयों के विद्युत कर की कम वसूली हुई।

प्रकरण को दिसम्बर 2007 एवं अप्रेल 2008 के मध्य ध्यान में लायें जाने के उपरान्त, कंपनी प्रबन्धन नें तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (जून 2008) कि स्थिर दर कृषि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये जाने वाले विद्युत कर के विरूद्ध अनुदान उपलब्ध करवाने या उपभोक्ताओं से विद्युत कर वसूल करने की अनुमति देने हेतु मामले को सरकार को प्रेषित कर दिया गया।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने बताया (सितम्बर 2008) कि यदि विद्युत कर संशोधित दरों पर वसूल किया जाता तो इसके परिणाम में स्थिर दर कृषि उपभोक्ताओं में असंतोष हो जाता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 18 नवम्बर 2006 के सरकार के आदेश में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अन्तर्गत केवल अन्तर राशि के लिए अर्थात् केवल दरों के लिये अनुदान का प्रावधान था तथा संशोधित दरों पर विद्युत कर वसूल नहीं करने के कोई निर्देश नहीं थे।

[21] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड; 6.02 करोड़ रुपये, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड; 7.62 करोड़ रुपये एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड; 7.85 करोड़ रुपये।

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अभिलेखों की वर्ष 2007-08 के दौरान की गई मापक जांच में 2,615 प्रकरणों में 9.69 करोड़ रुपयों के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली प्रकट हुई, जो निम्न श्रेणियों में आती है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	2,065	7.68
2.	दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	05	0.01
3.	अन्य अनियमितताएं	545	2.00
	योग	**2,615**	**9.69**

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने 1,332 प्रकरणों में 4.02 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिसमें से 1.20 करोड़ रुपये के 386 मामले वर्ष 2007-08 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षो में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 936 प्रकरणों में 1.47 करोड़ रुपये वसूल किये, जिसमें से 10.45 लाख रुपये के 134 प्रकरण वर्ष 2007-08 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षो में ध्यान में लाये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले 58.36 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

5.2 लोक कार्यालयों द्वारा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (आर.एस. एक्ट),जो 27 मई 2004 से प्रभावी हुआ है, के प्रावधानों के अधीन विभिन्न प्रकार के लेख्य पत्रों पर मुद्रांक कर आरोपणीय है। इससे पूर्व, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 जैसा कि राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के द्वारा अनुकूलित किया गया, के प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक कर आरोपित किया जाता था। यह सुनिश्चित करने हेतु कि समस्त राजकीय कार्यालयों, लोक कंपनियों एवं निगमों के अलावा स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी निकायों आदि के समक्ष प्रस्तुत लेख्य पत्रों पर उचित मुद्रांक कर सही रूप से आरोपित किया है, राज्य सरकार ने ऐसे सभी कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित (दिसम्बर 1997) किया है। इन कार्यालयों को अमुद्रांकित या कम मुद्रांकित दस्तावेजों को सम्बन्धित कलक्टर(मुद्रांक) के ध्यान में लाना आवश्यक था। महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक), ने अपने पत्र दिनांक 9 जनवरी 1998 के द्वारा उप महानिरीक्षक/अतिरिक्त कलक्टर (ए.सी.) (मुद्रांक) को लोक कार्यालयों के अभिलेखों को यह देखने के लिए निरीक्षण हेतु अधिकृत किया कि क्या मुद्रांक कर ठीक तरीके से प्रभारित किया जा रहा था।

5.2.1 कंपनियों की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

आर.एस. एक्ट की अनुसूची के आर्टिकल 11(i) के अन्तर्गत अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर 0.5 प्रतिशत से मुद्रांक कर प्रभार्य है। इससे पूर्व, राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2004 द्वारा इस मद पर अधिकतम सीमा रुपये 2 लाख के अध्यधीन 0.2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य था।

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आर.ओ.सी.) राजस्थान, जयपुर से प्राप्त की गई सूचना से प्रकट हुआ कि 1,684 प्रकरणों में 11,406.12 करोड़ रुपये से अंश पूंजी में वृद्धि हुई थी। आर.ओ.सी द्वारा आर.एस. एक्ट के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय 57.03 करोड़ रुपये के स्थान पर गलत तरीके से कम दरों[1] पर 2.81 करोड़ रुपये के मुद्रांकित लेख्य पत्रों को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप 54.22 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

ए.सी. जयपुर द्वारा इस अवधि के दौरान आर.ओ.सी. कार्यालय का आवश्यक निरीक्षण करना भी नहीं पाया गया। लोक कार्यालय के रूप में आर.ओ.सी. द्वारा अपने कार्य के निष्पादन में विफल रहने के साथ ही आवश्यक निरीक्षणों के अभाव के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।

मार्च एवं अप्रेल 2008 में प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने जुलाई 2008 में बताया कि अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2004, जो कि आर.एस. एक्ट की धारा 91 (2) के अनुसार वर्तमान में भी प्रभावी है, के अनुसार मुद्रांक कर आरोपित

[1] अधिकतम 2 लाख रुपये के अध्यधीन 0.2 प्रतिशत ।

किया गया था। विभाग का उत्तर उचित नहीं है जैसा कि धारा 91 (2) में नियत है कि केवल वे ही अधिसूचनायें, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं, रक्षित मानी जावेंगी। इस प्रकरण में मुद्रांक कर 0.5 प्रतिशत निर्धारित है, इस प्रकार जनवरी 2004 की अधिसूचना, प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रभावी नहीं थी।

5.2.2 कंपनियों के समामेलन से सम्बन्धित दस्तावेजों के अपंजीयन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अप्राप्ति

पंजीयन अधिनियम, 1908, की धारा 17 (ब) के अनुसार 100 रुपये या अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति का इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन आवश्यक है। कंपनी अधिनियम की धारा 394 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के आदेश से कंपनियों के समामेलन से सम्बन्धित हस्तान्तरण विलेख पर आर.एस. एक्ट की अनुसूची के आर्टिकल 21 के खण्ड (iii) के अधीन प्रभार्य मुद्रांक कर को अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2005 के द्वारा बाजार मूल्य पर 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया।

आर.ओ.सी. राजस्थान, जयपुर से जनवरी एवं मार्च 2008 के मध्य प्राप्त की गई सूचना से प्रकट हुआ कि 20 मई 2005 एवं 13 नवम्बर 2007 के मध्य उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन 10 कंपनियों (हस्तांतरित कम्पनियां) का समामेलन अन्य 5 कम्पनियों (हस्तांतरिती कम्पनियाँ) में हुआ। हस्तांतरिती कंपनियों ने विलेख पत्रों को पंजीयन के लिये प्रस्तुत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना हुई। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार हस्तांतरित कंपनियों की लागत 38.87 करोड़ रुपये आंकी गई जिस पर मुद्रांक कर के 1.55 करोड़ रुपये एवं पंजीयन शुल्क के 1.25 लाख रुपये आरोपणीय थे।

इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों के पर्याप्त रूप से मुद्रांकन को सुनिश्चित करने एवं इस गलती को कलक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाने के कार्य निष्पादन में, आर.ओ.सी. लोक कार्यालय के रूप में विफल रहा। अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा आर.ओ.सी. कार्यालय का निरीक्षण किया हुआ भी नहीं पाया गया। लोक कार्यालय के रूप में आर.ओ.सी. द्वारा अपने कार्य के निष्पादन में विफल रहने के साथ ही आवश्यक निरीक्षणों के अभाव के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।

मामला ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने जून 2008 में तथ्यों को स्वीकार किया तथा सम्बन्धित वृत्त अधिकारियों को राशि वसूल करने हेतु निर्देश जारी किये। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

5.2.3 कस्टमस् बॉण्डों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

आर.एस. एक्ट की अनुसूची के आर्टिकल 25 के अन्तर्गत कस्टमस् बॉण्ड पर, बॉण्ड में उल्लिखित राशि पर, एक प्रतिशत से मुद्रांक कर प्रभार्य है जो न्यूनतम 100 रुपये है।

इनलेण्ड कन्टेनर डिपो, भिवाड़ी एवं कनकपुरा (जयपुर) से प्राप्त की गई सूचना से प्रकट हुआ कि जुलाई 2004 से मार्च 2008 के दौरान 136.43 करोड़ रुपये की राशि के 150 बॉण्ड सम्बन्धित कस्टमस् डिवीजनों द्वारा स्वीकार किये गए। इन बॉण्डों पर

प्रभार्य मुद्रांक कर 1.36 करोड़ रुपये के विरूद्ध मात्र 71,700 रुपये प्रभारित किये गये। इसके परिणामस्वरूप 1.36 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

इस प्रकार प्रस्तुत बॉण्डों के पर्याप्त रूप से मुद्रांकन्न को सुनिश्चित करने एवं इस गलती को कलक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाने के कार्य निष्पादन में, कस्टमस् खण्ड लोक कार्यालय के रूप में विफल रहा। उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) द्वारा इन डिवीजनों का निरीक्षण भी नहीं किया गया। लोक कार्यालय के रुप मे इन डिवीजनों द्वारा उनके कार्य के निष्पादन में विफल रहने के साथ ही निरीक्षणों के अभाव के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने जुलाई 2008 में बताया कि सम्बन्धित वृत्त अधिकारियों को राशि वसूल करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये।

5.3 सम्पत्ति के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

आर.एस. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण लेख्य पत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। आगे, राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 (आर.एस. नियम), के नियम 58 के अनुसार अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुशंषित दरों या महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों में, जो भी उच्चतर हो, के आधार पर किया जावेगा। पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क भी मूल्य या प्रतिफल पर अधिकतम रुपये 25,000 के अध्यधीन एक प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना है।

चार उप पंजीयक कार्यालयों (एस.आर.ओ.) के अभिलेखों की जून 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 38 प्रकरणों में सम्पत्तियों का 7.92 करोड़ रुपये से कम मूल्यांकन किया गया। सम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित से कम दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार कुल 54.70 लाख रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआः

(लाख रुपयों में)

एस.आर.ओ. के नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मु.क. एवं पं.शु.[2] आरोप्य / आरोपित	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण
पुष्कर (अजमेर)	1	वाणिज्यिक	210.09	5.95	17.06 / 0.54	16.52
लूनी (जोधपुर)	32	वाणिज्यिक/ आवासीय	344.71	148.48	25.85 / 11.14	14.71
जयपुर-III	1	वाणिज्यिक	386.10	97.40	19.55 / 5.12	14.43
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	4	वाणिज्यिक	110.46	7.56	9.72 / 0.68	9.04
योग	**38**		**1,051.36**	**259.39**	**72.18 / 17.48**	**54.70**

जुलाई 2007 एवं अप्रेल 2008 के मध्य ये अनियमितताएं ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने जून एवं जुलाई 2008 में बताया कि एस.आर.ओ. लूनी, जयपुर-III

[2] मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ।

एवं सूरतगढ़ के प्रकरणों को न्यायनिर्णय हेतु दर्ज करा दिया गया, जबकि एस.आर.ओ. पुष्कर (अजमेर) के प्रकरण में वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया।

5.4 पट्टा विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

आर.एस. एक्ट में आगे प्रावधान है कि जहां पट्टा 20 वर्ष से अधिक अवधि का है, मुद्रांक कर हस्तान्तरण विलेख की तरह सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य है।

छः एस.आर. कार्यालयों[3] के अभिलेखों की मार्च 2007 एवं जनवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये 12 पट्टा विलेख मार्च 2004 एवं नवम्बर 2006 के मध्य निष्पादित हुए। इन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 53.76 लाख रुपये आरोपणीय थे जिसके विरूद्ध एक/दो वर्ष के औसत किराये पर 17,000 रुपये आरोपित किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 53.59 लाख रुपयों का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने जून 2008 में बताया कि समस्त प्रकरणों को न्यायनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज कर दिया गया, जिसमें से उप पंजीयक, सुमेरपुर (पाली) से सम्बन्धित 5.35 लाख रुपये के दो प्रकरण सरकार के पक्ष में निर्णित हो चुके हैं तथा विभाग द्वारा राशि की वसूली हेतु कुर्की वारन्ट जारी कर दिये गये।

5.5 डवलपर इकरारनामों का अपंजीयन

आर.एस.एक्ट की अनुसूची के आर्टिकल 5(बबबब) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रमोटर या किसी डवलपर, जिसे किसी भी नाम से जाना जावे, को किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण या विकास के लिए अधिकार या शक्ति देने से सम्बन्धित इकरारनामों या इकरारनामों के ज्ञापन पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित दर से प्रभार्य है।

तीन एस.आर. कार्यालयों (जयपुर-IV, जयपुर-VII एवं जयपुर-VIII) के अभिलेखों की वर्ष 2005 एवं 2006 के लिये जनवरी एवं मार्च 2008 के मध्य की गई संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच निर्मित फ्लैटों को खरीदने हेतु सितम्बर 2005 एवं अगस्त 2006 के मध्य नौ लेख्य पत्रों का निष्पादन हुआ। विलेखों के विवरणों से प्रकट हुआ कि बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण डवलपरों द्वारा कराया गया एवं भूमि के मालिकों एवं डवलपरों के मध्य बिक्री में हिस्सेदारी होनी थी। तथापि, इस बारे में न तो कोई पृथक इकरारनामा पंजीकृत हुआ न ही उप-पंजीयकों द्वारा इस भिन्न मद पर कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 13.49 लाख रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने जुलाई 2008 में बताया कि समस्त प्रकरणों को न्यायनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज करा दिया गया।

[3] बदनोर (भीलवाड़ा), बानसूर (अलवर), भादरा (हनुमानगढ़), गंगरार (चित्तोड़गढ़), शाहपुरा (जयपुर) एवं सुमेरपुर (पाली) ।

अध्याय-VI: राज्य आबकारी शुल्क

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2007-08 के दौरान की गई मापक जाँच में 194 प्रकरणों में राशि 68.58 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई जो निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञा फीस की अवसूली/कम वसूली	73	45.95
2.	मदिरा की अधिक छीजत से आबकारी शुल्क की हानि	50	0.57
3.	अन्य अनियमिततायें	71	22.06
	योग	**194**	**68.58**

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने 71 प्रकरणों में 18.73 करोड़ रुपये की कम वसूली तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 17.84 करोड़ रुपये के 44 प्रकरण लेखापरीक्षा में वर्ष 2007-08 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 49 प्रकरणों में 67.61 लाख रुपये की वसूली की, जिसमें से 14.85 लाख रुपये के 12 प्रकरण लेखापरीक्षा में वर्ष 2007-08 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

ड्राफ्ट पैरा जारी करने के पश्चात् वर्ष 2007-08 में ध्यान में लाये गये एक आक्षेप के सम्बन्ध में विभाग ने 12.82 लाख रुपये की वसूली सूचित (जून 2008) की।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आये 29.05 करोड़ रुपयें के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

6.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क का कम आरोपण

वर्ष 2005-06 की आबकारी नीति के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.) पर आबकारी शुल्क, निर्माताओं द्वारा घोषित प्रति कार्टून विक्रय मूल्य पर प्रभारित किया जाना था। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी आबकारी शुल्क की दरें, निर्माताओं द्वारा घोषित क्वार्ट बोतल[1] के विक्रय मूल्य पर अधिसूचित की तथा उन दरों को वर्ष 2006-07 के लिए भी लागू रखी। सरकार ने अद्धों एवं पव्वों[2] के विक्रय मूल्य पर आरोपित किए जाने वाले आबकारी शुल्क को अधिसूचित नहीं किया।

सत्ताइस जिला आबकारी कार्यालयों(डी.ई.ओ.)[3] के अभिलेखों की संवीक्षा, यथा - मदिरा पर चुकाए गए आबकारी शुल्क के विवरण के साथ निर्माताओं द्वारा मई 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य जारी किए गए विक्रय बिलों के सत्यापन में प्रकट हुआ कि अद्धों एवं पव्वों के 10,20,302 कार्टून, क्वार्ट बोतलों के घोषित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर विक्रय किए गए। अद्धों एवं पव्वों पर देय आबकारी शुल्क की दरों को अधिसूचना में घोषित नहीं किए जाने के कारण विभाग ने क्वार्ट बोतलों के घोषित मूल्य के आधार पर अद्धों एवं पव्वों पर आबकारी शुल्क प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शित 26.71 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क का कम आरोपण हुआ:

भा.नि.वि.म. के अद्धे एवं पव्वे के कार्टूनों के घोषित मूल्य का वर्ग	अद्धे एवं पव्वे के कार्टूनों की संख्या	अन्तर्निहित कुल एल.पी.एल[4].	प्रति एल.पी.एल. आरोपणीय आबकारी शुल्क (रुपये)	प्रति एल.पी.एल. प्रभारित आबकारी शुल्क (रुपये)	प्रति एल. पी. एल. आबकारी शुल्क का अन्तर (रुपये)	आबकारी शुल्क का कम आरोपण (करोड़ रुपयों में)
400 रुपये से अधिक लेकिन 600 रुपये तक	अद्धे- 1,88,118 पव्वे- 6, 90, 400	57, 43,588.50	210	170	40	22.97
600 रुपये से अधिक लेकिन 900 रुपये तक	अद्धे - 19,713 पव्वे - 1,17,984	8,97,599.07	250	210	40	3.59
900 रुपये से अधिक लेकिन 1500 रुपये तक	अद्धे - शून्य पव्वे - 1,543	9,998.64	280	250	30	0.03
1500 रुपये से अधिक लेकिन 3000 रुपये तक	अद्धे - 80 पव्वे - 2,464	16,506.72	350.	280	70	0.12
योग	**10, 20,302 (अद्धे - 2,07,911 पव्वे - 8,12,391)**	**66,67,692.93**	-	-	-	**26.71**

[1] मदिरा की इकाई जो गैलन के चौथाई या दो अद्धों के समान है।

[2] पाउच/बोतल जिसमें मदिरा विक्रय होती है, अद्धा: 375 मिली लीटर, पव्वा: 180 मिली लीटर।

[3] डी.ई.ओ. अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तोडगढ़, चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झूनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टौंक तथा उदयपुर।

[4] लन्दन प्रुफ लीटर।

इस प्रकरण को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने जुलाई 2008 में बताया कि अधिसूचना में "क्वार्ट बोतल" का उल्लेख किया गया है और समान ब्रॉण्ड पर शुल्क की भिन्न दर आरोपित नहीं की जा सकती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आबकारी नीति में मदिरा के विक्रय मूल्य पर आबकारी शुल्क प्रभारित करने का प्रावधान है।

6.3 कम्पोजिट दूकानों[5] पर अनुज्ञा शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत जारी देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के अनुज्ञापत्र की निबन्धन एवं शर्तो के अनुसार नगरपालिका सीमा या उससे लगती हुई सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित कम्पोजिट दूकानों के लिए देय वार्षिक अनुज्ञा शुल्क उन कम्पोजिट दूकानों के लिए देय अनुज्ञा शुल्क से अधिक था, जो ऐसी सीमा से दूर अवस्थित थी।

तीन डी.ई.ओ.[6] के अभिलेखों की दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 66 कम्पोजिट दूकानें या तो नगरीय क्षेत्र में या नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थी। इन दूकानों के अनुज्ञाधारी अनुज्ञाशुल्क के 1.71 करोड़ रुपये भुगतान के लिए दायी थे लेकिन विभाग ने नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर से दूर अवस्थित दूकानों के लिए लागू दर से अनुज्ञा शुल्क के 26.50 लाख रुपये आरोपित किये। इसके परिणामस्वरूप 1.45 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने सितम्बर 2008 में बताया कि नगर से लगती सीमा का निर्धारण नगरीय भूमि (सीलिंग एवं रेगूलेशन) अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया था, जिसे 11 जनवरी 1999 से विलोपित कर दिया गया था। इस प्रकार इस प्रकरण में "नगर से लगती सीमा" शब्द कोई सम्बद्धता नहीं रखता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन गांवों को नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए दिनांक 22.4.1999 को जारी की गई अधिसूचना राजस्थान नगरीय विकास अधिनियम, 1959 के अधीन थी, जो कि एक अलग अधिनियम था।

6.4 आबकारी शुल्क के अन्तर तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत आबकारी शुल्क लगने योग्य किसी वस्तु पर आबकारी शुल्क या क्षतिपूरक शुल्क ऐसी दर या दरों पर आरोपित की जायेगी जैसा राज्य सरकार निर्देशित करें। आबकारी नीति वर्ष 2005-06 (2006-07 के लिए भी लागू) के अनुसार, मदिरा निर्माताओं द्वारा घोषित विक्रय मूल्य के आधार पर राज्य सरकार ने भा.नि.वि.म./बीयर पर आबकारी शुल्क प्रभारित करने का निश्चय किया। सरकार ने अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2006 द्वारा आगे भा.नि वि.म./बीयर पर पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क आरोपण करना निर्धारित किया।

---

[5] देसी मदिरा की दुकाने जो भा.नि.वि.म. एवं बीयर के भी खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र रखते हो।

[6] डी.ई.ओ. जयपुर, उदयपुर तथा झून्झूनू।

डी.ई.ओ. जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा करने पर प्रकट हुआ कि विभाग के पास राजस्थान राज्य ब्रेवरीज निगम लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) के विभिन्न डिपों में 1 अप्रैल 2006 को निस्तारण के लिए बकाया भा.नि.वि.म. तथा बीयर की मात्रा के बारे में कोई सूचना नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा आर.एस.बी.सी.एल. से एकत्रित की गयी सूचना के अनुसार आबकारी शुल्क तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 4.37 करोड़ रुपये निर्माताओं से वसूलनीय थे जिनमें से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत चालानों के अनुसार निर्माताओं द्वारा 3.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था तथा शेष राशि 73 लाख रुपये बकाया रही। इसके परिणामस्वरूप 73 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

मामला ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने अगस्त 2008 में बताया कि 30.92 लाख रुपये वसूल कर लिए गये तथा शेष राशि शीघ्र ही वसूली कर ली जायेगी। विभाग ने यद्यपि पहले (जुलाई 2008) बताया था कि 67.72 लाख रुपये वसूल कर लिए गये थे।

6.5 अनुज्ञा हस्तान्तरण शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 (आर.ई. नियमों) के नियम 72ब में प्रावधान है कि प्रत्येक अनुज्ञा, अनुज्ञाधारी को व्यक्तिशः स्वीकृत या नवीनीकृत माना जायेगा तथा किसी भी अनुज्ञा को अनुज्ञा प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना विक्रय या हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा तथा ऐसी अनुमित प्रदान नहीं की जावेगी जब तक कि अनुज्ञा शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न हो जाये। आर.ई. नियमों के नियम 68 के अन्तर्गत मदिरा निर्माताओं द्वारा थोक विक्रेता को थोक विक्रय हेतु अनुज्ञा शुल्क, संभागीय मुख्यालयों के लिए 6 लाख रुपये तथा अन्य स्थानों के लिए 5 लाख रुपये था।

आबकारी आयुक्त (ई.सी.) तथा डी.ई.ओ. उदयपुर के अभिलेखों की मई 2007 एवं जनवरी 2008 में की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2006-07 के दौरान ई.सी. उदयपुर एवं डी.ई.ओ., उदयपुर ने छः थोक अनुज्ञाओं के हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की। हस्तान्तरण शुल्क के 16 लाख रुपये यद्यपि वसूलनीय थे, वसूल नहीं किये।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जून 2008 में बताया कि पांच अनुज्ञाधारियों से 13 लाख रुपये वसूल कर लिए गये जबकि शेष एक प्रकरण में वसूली प्रगतिधीन थी।

प्रकरण मार्च 2008 में सरकार को सूचित किये गये; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

सामान्य प्रशासन, खान व भू-विज्ञान, पैट्रोलियम, सार्वजनिक निर्माण एवं जल संसाधन विभागों की वर्ष 2007-08 के दौरान की गई मापक जांच में 2,626 प्रकरणों में 372.95 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
अ. सामान्य प्रशासन विभाग			
1.	**राजस्थान के पूर्व शासकों से प्राप्त नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं निस्तारण (समीक्षा)**	1	246.45
ब. खान एवं भू-विज्ञान, एवं पैट्रोलियम विभाग			
1.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	477	40.30
2.	अनाधिकृत उत्खनन	287	21.20
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	425	3.93
4.	धरोहर राशि का जब्त न करना	72	0.16
5.	अन्य अनियमिततायें	1,332	54.89
स. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग			
1.	राजस्व को सरकारी लेखों में जमा न कराना	12	4.46
2.	तीन वर्षों से अधिक की अदावी राशियों को सरकारी राजस्व में जमा नहीं कराना	20	1.56
	योग	**2,626**	**372.95**

वर्ष 2007-08 के दौरान, खान एवं भू-विज्ञान, एवं पैट्रोलियम विभागों ने 1,445 प्रकरणों में 73.32 करोड़ रुपये की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 8.45 करोड़ रुपये के 814 प्रकरण वर्ष 2007-08 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 722 प्रकरणों में 6.79 करोड़ रुपये की वसूली की, जिसमें से 1.06 करोड़ रुपये के 126 प्रकरण वर्ष 2007-08 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए **"राजस्थान के पूर्व शासकों से प्राप्त नजूल सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं निस्तारण"** पर एक समीक्षा सहित 275.30 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी प्रकरणों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

अ. सामान्य प्रशासन विभाग

7.2 राजस्थान के पूर्व शासकों से प्राप्त नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं निस्तारण

मुख्य-मुख्य बिन्दु

नजूल सम्पत्तियों की वास्तविक संख्या और स्थिति को सुनिश्चित करने हेतु सर्वे करने के लिए कोई व्यवस्था/प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। राज्य से बाहर स्थित 66.57 करोड़ रुपये मूल्य की 1,263 नजूल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में 33.28 करोड़ रुपये के किराये की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.2.6)

जिला कलेक्टरों द्वारा संधारित सम्पत्तियों के प्रबन्धन एवम् निस्तारण की मानिटरिंग करने के लिए सप्पदा निदेशक द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.2.7)

सम्पदा निदेशक एवं जिला कलेक्टरों के अभिलेखों में 172 सम्पत्तियों का अता पता और अस्तित्व में होना नहीं पाया गया, जिनमें से 53 सम्पत्तियों का मूल्य 21.25 करोड़ रुपये था।

(अनुच्छेद 7.2.7.1)

मांग व संग्रहण पंजिका के अभाव में विभाग ने 1,109 किरायेदारों के विरूद्ध बकाया किराये एवं ब्याज की राशि 37.72 करोड़ रुपये की मांग कायम नहीं की।

(अनुच्छेद 7.2.8.1)

253 रिक्त नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण के कोई प्रयास नहीं किये गये, जिनमें से 218 सम्पत्तियों का मूल्य 14.84 करोड़ रुपये था।

(अनुच्छेद 7.2.9)

न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश पारित होने के उपरान्त भी 24.29 करोड़ रुपये मूल्य की 32 सम्पत्तियों सहित 41 सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.2.11)

केन्द्र सरकार के कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों के कब्जे वाली 99 सम्पत्तियों, जिनका मूल्य 14.84 करोड़ रुपये था, से न तो किराये एवं ब्याज की राशि 9.41 करोड़ रुपये की वसूली की गई न ही इन सम्पत्तियों को निस्तारित किया गया।

(अनुच्छेद 7.2.12)

7.2.1 प्रस्तावना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार नजूल भूमि से तात्पर्य नगरपालिका अथवा पंचायत अथवा ग्राम अथवा शहर की सीमाओं के अंदर सरकारी आबादी भूमि से है। रियासतों के पूर्व शासकों से प्राप्त सम्पत्तियों को नजूल सम्पत्तियां माना गया है। नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं निस्तारण राजस्थान नजूल भवन (सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण) नियम, 1971 (नियमों) एवं इसके अंतर्गत निर्मित नीतियों से शासित होता है। इन सम्पत्तियों से प्राप्तियों में किरायेदारों से किराया, अनाधिकृत काबिजों से सरचार्ज/जुर्माना और ब्याज, यदि इन पर कोई हो, विक्रय प्रतिफल एवम् नजूल सम्पत्तियों के दोषी बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमाओं को जब्त करने से प्राप्त आय सम्मिलित की जाती है।

रियासतों के पूर्व शासकों से प्राप्त सम्पत्तियों (उनके अलावा जो इन शासकों के स्वामित्व में उनकी निजी हैसियत से हो) को राज्य की सम्पत्तियां घोषित किया गया। इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि.) द्वारा वर्ष 1949 में अपने अधिकार में ले लिया गया था। इन सम्पत्तियों के सुगम निस्तारण एवम् बेहतर प्रबन्धन के लिए भी सरकार ने वर्ष 1991 में इन सम्पत्तियों को सा.नि.वि. से सम्पदा निदेशक (स.नि./विभाग) को हस्तांतरित करने का निश्चय किया। तथापि, सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवम् अतिक्रमणों के हटाने सम्बन्धित कार्य सा.नि.वि. के पास ही रहा।

नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण को सम्मिलित करते हुए नजूल प्राप्तियों के निर्धारण आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई। इससे प्रणाली एवं अनुपालना की कमियां प्रकट हुई जो कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित है:

7.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर नजूल सम्पत्तियों के लिए नीति निर्धारण, मॉनिटरिंग व नियंत्रण का कार्य प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सा.प्र.वि.) द्वारा किया जाता है। सम्पदा निदेशक विभागाध्यक्ष है । मुख्यालय पर एक सहायक निदेशक उनका सहयोग करता है। जिला स्तर पर, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे पदेन सहायक निदेशक, नजूल सम्पत्तियां घोषित किया गया है, भी उनका सहयोग करता है। राज्य के 32 जिलों में एवम् राज्य के बाहर 6[1] स्थानों पर नजूल सम्पत्तियां स्थित हैं।

सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर, सम्पत्ति के निस्तारण अथवा उसके रखे रखने का निर्णय वर्तमान में तीन प्रकार की समितियों में से एक समिति द्वारा लेना होता है।

- दस लाख रुपये बाजार मूल्य तक की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में एक जिला स्तरीय समिति, जिसमें जिला कलेक्टर, अध्यक्ष के रूप में, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक सचिव के रूप में, पुलिस अधीक्षक एवं कोषाधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं, निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।

[1] इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, अचलपुर सिटी एवम् मथुरा ।

- दस लाख रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों के निस्तारण का निर्णय प्रमुख शासन सचिव, वित्त, की अध्यक्षता वाली अपेक्स कमेटी द्वारा किया जाता है। प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सम्पदा निदेशक तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग समिति के सदस्य है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, नजूल सम्पत्तियों के त्वरित निस्तारण के लिये सरकार ने एक मंत्रीमंडलीय समिति का गठन (मई 2002) किया, जिसमें केबिनेट मंत्री होते है, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है । सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु अनेक निर्णय लेने के अतिरिक्त बाजार मूल्य से कम पर सम्पत्तियों का निस्तारण करने के लिए भी समिति अधिकृत है।

7.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के लिए नजूल सम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं निस्तारण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता पर की समीक्षा अगस्त 2007 से अप्रेल 2008 के मध्य की गई थी। निदेशक, सम्पदा कार्यालय के अतिरिक्त राज्य के 32 जिलों में से 10 जिलों में स्थित 11[2] इकाईयों के अभिलेखों की मापक जांच की गई। जिला कलेक्टरों, तहसीलदारों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ताओं एवं उप खण्डीय कार्यालयों के अभिलेख भी देखे गए। जिलों का चयन सेम्पलिंग की पुनःस्थापना सहित आकार के अनुरूप संभावना (पी.पी.एस.डब्लयू.आर.) विधि के आधार पर किया गया था।

7.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

नजूल सम्पत्तियों के प्रबन्धन और निस्तारण में विभाग की दक्षता और प्रभावोत्पादकता के निर्धारण के दृष्टिगत यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की गई किः

- सर्वे करने, किराये की मांग कायम करने एवम् इसकी वसूली हेतु एक उचित प्रणाली प्रभाव में थी,
- नजूल सम्पत्तियों के अनाधिकृत काबिजों के विरूद्व प्रभावी और समय पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, तथा
- नजूल सम्पत्तियों के त्वरित निस्तारण एवं शासकीय देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने के लिये विभाग में आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभाव में थी।

7.2.5 आभार

नजूल सम्पत्तियों के अभिलेखों के संधारण के उत्तरदायी सामान्य प्रशासन विभाग, सम्पदा निदेशक, राजस्थान, जयपुर एवम् अन्य कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक

[2] अजमेर, अलवर, भरतपुर, बून्दी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जैसलमेर एवम् कोटा ।

अभिलेख एवम् सूचनायें उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किए गए सहयोग के लिए भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग आभार प्रदान करता है। प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि. के कार्यालय में 15 अक्टूबर 2007 को एक आरम्भिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। जिसमें समीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। समीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप को मई 2008 में विभाग एवं सरकार को अग्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक 3 जुलाई 2008 को सम्पन्न हुई। उपशासन सचिव एवं निदेशक, सम्पदा ने सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। सरकार/विभाग के विचार सम्बन्धित अनुच्छेदों में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रणाली की कमियां

7.2.6 सर्वेक्षणों की प्रणाली एवम् पद्धति का अभाव

सा.प्र.वि. द्वारा जारी 1991 के आदेश के अनुसार राज्य सरकार की नजूल सम्पत्तियों का सर्वेक्षण सम्पदा निदेशक द्वारा कराया जाना था। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए कोई प्रणाली या पद्धति निर्धारित नहीं की गई जिससे नजूल सम्पत्तियों की स्थिति एवम् वास्तविक संख्या को सुनिश्चित किया जा सके।

सम्पदा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य के अंदर की नजूल सम्पत्तियों की संख्या और कब्जे की स्थिति निम्नानुसार थी:

(संख्या में)

क्र.सं.	सम्पत्तियों पर काबिज	योग	मापक जांच किए गए जिलों में
1	राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय/नगरपालिकायें/ शहर विकास न्यास/पंचायत समितियां/पंचायतें	1,821	942
2	किरायेदार/अतिक्रमी	1,669	1,505
3	रिक्त(निस्तारण योग्य)	503	205
4	विविध	463	306
	योग	**4,456**	**2,958**

सम्पदा निदेशालय या अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा राज्य के अन्दर की नजूल सम्पत्तियों का कभी भी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। ऐसे सर्वेक्षण के अभाव में सम्पत्तियों की संख्या एवं अस्तित्व की सत्यता की जांच लेखा परीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

वर्ष 1991 में सम्पदा निदेशालय के गठन के पश्चात् केवल एक बार जनवरी 2007 में राज्य के बाहर स्थित नजूल सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के

अनुसार छः स्थानों[3] पर 1,346 सम्पत्तियां स्थित थी। तथापि, रिपोर्ट में क्षेत्र, स्थान, कब्जे की अवधि, वर्तमान बाजार मूल्य एवं प्राप्त किये जाने वाले किराये के संबंध में कोई सूचना नहीं होने से सर्वेक्षण अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान दिलाने के उपरान्त जुलाई 2008 में विभाग ने बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण सर्वेक्षण नहीं किये जा सके।

राज्य से बाहर की सम्पत्तियों की सर्वेक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इलाहाबाद में, लेखापरीक्षा द्वारा संगणित राशि 66.57 करोड़ रुपये मूल्य की 1263 नजूल सम्पत्तियां 1,03,195 वर्ग मीटर माप की भूमि पर स्थित थी। ये सम्पत्तियां विभिन्न किरायेदारो के कब्जे में थी। 2002-07 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा द्वारा संगणित इन सम्पत्तियों का किराया 33.28 करोड़ रुपये वसूली से शेष रहा, क्योंकि काबिज/किरायेदार किराये का भुगतान नहीं कर रहे थे। सम्पत्तियों के निस्तारण अथवा किराये की वसूली हेतु सम्पदा निदेशालय ने कोई प्रयास नहीं किए।

यह ध्यान में लाने के उपरांत जुलाई 2008 में निदेशक सम्पदा ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।

सम्पत्तियों की संख्या और स्थिति के निर्धारण में चूंकि सर्वेक्षण एक आवश्यक कदम हैं, सभी नजूल सम्पत्तियों को शामिल करने हेतु उचित सर्वेक्षण करने के लिए सरकार एक पद्धति/प्रणाली विकसित करे।

7.2.7 नजूल सम्पत्तियों पर नियंत्रण का अभाव

नजूल सम्पत्तियों के प्रबन्धन, निस्तारण एवम् मॉनिटरिंग के लिए सम्पदा निदेशक उत्तरदायी है। तथापि, नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन एवम् किराया निर्धारण अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. द्वारा किये जाने होते हैं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला कलेक्टरों, जो जिला स्तरीय समितियों के पदेन अध्यक्ष भी थे, द्वारा संधारित नजूल सम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं निस्तारण के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा कोई भी विवरणी निर्धारित नहीं की गई।

7.2.7.1 छः जिलों के सा.नि.वि. खंडों एवं तहसीलों से संग्रहित सूचनाओं का प्रति-परीक्षण जिला कलेक्टरों एवं सम्पदा निदेशक के अभिलेखों से करने पर प्रकट हुआ कि 172 सम्पत्तियां जिला कलेक्टरों और सम्पदा निदेशक के अभिलेखों में सूचीबद्ध नहीं थी। इनमें से 53 सम्पत्तियों का मूल्य 21.25 करोड़ रुपये था । शेष प्रकरणों में, विभाग के पास पूर्ण विवरण यथा क्षेत्र, स्थान इत्यादि उपलब्ध नहीं था एवं इस प्रकार से सभी सम्पत्तियों का कुल मूल्य लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

7.2.7.2 सा.नि.वि. खंडों के अभिलेखो की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2007 को 574 नजूल सम्पत्तियों का पता नहीं लगा। तथापि, सम्पदा निदेशालय के अभिलेखों में पता नहीं लगने वाली नजूल सम्पत्तियां केवल 269 थी।

---

[3] इलाहाबाद (1263), वाराणसी (77), आगरा (2), नई दिल्ली (2), अचलपुर सिटी (1) एवम् मथुरा (1)

7.2.7.3 मापक जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 396 नजूल सम्पत्तियों पर किरायेदार काबिज थे। इन सम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में किरायेदारों से वसूलनीय किराया एवं ब्याज की राशि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, स्थान, क्षेत्र इत्यादि एवं नजूल सम्पत्तियों से वसूलनीय किराया को दर्शाने वाली किसी विवरणी के अभाव में सम्पदा निदेशालय सम्पत्तियों के प्रबन्धन को मॉनिटर करने की स्थिति में नहीं था।

इसने सरकार के स्तर पर नजूल सम्पत्तियों के प्रबन्धन/निस्तारण में सम्पूर्ण नियंत्रण के अभाव को इंगित किया।

नजूल सम्पत्तियों के उचित प्रबन्धन व निस्तारण हेतु सरकार एक उचित विवरणी निर्धारित करे।

7.2.8 मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं होना

नजूल सम्पत्तियों के प्रबन्धन और निस्तारण के लिए अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जो सदस्य सचिव का कार्य करते है एवं जिला कलेक्टर जो जिला स्तरीय समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिलों में स्थित नजूल सम्पत्तियों से प्राप्तियों के संकलन के लिए उत्तरदायी है। नजूल सम्पत्तियों से प्राप्तियों के संपूर्ण संकलन की मानिटरिंग के लिए सम्पदा निदेशक उत्तरदायी है। तथापि, नियमों में प्राधिकारियों द्वारा मांग व संग्रहण पंजिका के संधारण का कोई प्रावधान नहीं है। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि नजूल सम्पत्तियों के किराये एवं ब्याज अथवा जो निस्तारित हो गई, की बकाया के बारे में सम्पदा निदेशक के पास कोई जानकारी नहीं थी।

7.2.8.1 चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा सें प्रकट हुआ कि 1,505 नजूल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किराये व ब्याज के पेटे बकाया का निर्धारण एवम् मांग न तो विभाग द्वारा की गई न हीं किरायेदारों द्वारा भुगतान किया गया। मांग व संग्रहण पंजिका के अभाव में, मांग की कायमी एवम् समय पर प्राप्तियों के संग्रहण की निगरानी विभाग द्वारा नहीं की जा सकी । 31 मार्च 2007 तक 1,109 किरायेदारों से किराये, ब्याज एवं सरचार्ज के पेटे वसूलनीय राशि 37.72 करोड़ रुपये की गणना लेखापरीक्षा ने की। इस प्रकार मांग व संग्रहण पंजिका के अभाव के परिणामस्वरूप इन किरायेदारों से राजस्व की अवसूली रही। शेष सम्पत्तियों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

7.2.8.2 सम्पदा निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जयपुर शहर में राजकीय मोटर गैराज के कब्जे की 6,987 वर्गमीटर माप के भूखण्ड को वैकल्पिक भूमि की एवज में जयपुर विकास प्राधिकरण (ज.वि.प्रा.) को हस्तांतरित किया गया। उस भूमि के अतिरिक्त 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान भी ज.वि.प्रा. द्वारा किया जाना था। तथापि, ज.वि.प्रा. ने केवल 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया। बकाया राशि 50 लाख रुपये की न तो मांग की गई न ही.ज.वि.प्रा. द्वारा चुकाई गई। ज.वि.प्रा. ने इसे हस्तांतरित 6,987 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर 9335 वर्गमीटर भूमि की नीलामी कर दी। अभिलेखों में यह इंगित करने को कुछ नहीं था कि ज.वि.प्रा. द्वारा नीलामी की गई अतिरिक्त भूमि

के 3.38 करोड़ रुपये की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो। परिणामस्वरूप सरकार को 3.88 करोड़ रुपये की अवसूली रही।

मांग व संग्रहण पंजिका के असंधारण के कारण विभाग बकाया राशि की वसूली की निगरानी नहीं कर सका। सरकार, मांग व संग्रहण पंजिका के संधारण एवं मांग कायमी की प्रणाली को विकसित करना सुनिश्चित करे।

7.2.9 रिक्त सम्पत्तियों का अनिस्तारण

सरकार ने 31 अगस्त 1991 को समस्त जिला कलेक्टरों एवम् सम्पदा निदेशक को ऐसी नजूल सम्पत्तियां जो कि रिक्त थी, के त्वरित निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये। सम्पत्तियों के निस्तारण की निगरानी के लिए न तो कोई समय सीमा तय की गई न ही कोई विवरणी निर्धारित की गई।

चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2007 को 253 नजूल सम्पत्तियां रिक्त एवं भार मुक्त थी। शासन के निर्देशों की अनुपालना में इन सम्पत्तियों को मूल्यांकन के पश्चात् निस्तारित किया जाना था, किन्तु इन सम्पत्तियों में से कोई भी निस्तारित नहीं की गई। सा.नि.वि. की प्रचलित दरों के अनुसार 218 सम्पत्तियों का मूल्यांकन लेखा-परीक्षा ने 14.84 करोड़ रुपये पर किया। अवशेष 35 सम्पत्तियों का मूल्यांकन माप के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्पदा निदेशक द्वारा न तो सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रगति की निगरानी हेतु कोई विवरणी निर्धारित की न ही इनके निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निश्चित की। इसने इंगित किया कि रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण की मॉनिटरिंग प्रणाली दोषपूर्ण थी।

रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रगति की निगरानी हेतु एक आवधिक विवरणी आरम्भ करने पर सरकार विचार करे तथा इनके निस्तारण हेतु एक समय सीमा निश्चित करे जिससे कि आगे ह्रास एवं अतिक्रमण से दूर रखा जा सके।

7.2.10 समितियों की कार्य सम्पन्नता

अपेक्स कमेटी के अनुमोदन के उपरान्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई। एक तिमाही में जिला स्तरीय समितियों की कम से कम एक बैठक होनी आवश्यक थी। अपेक्स कमेटी तथा केबिनेट कमेटी की बैठकों के लिए ऐसे कोई मानदंड निर्धारित नहीं थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बैठकों की बारम्बारता की निगरानी न तो निदेशालय द्वारा न ही शासन द्वारा की गई। विभिन्न जिला स्तरीय समितियों की बैठकों की कुल संख्या और उनके मिनट्स निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थे।

यह देखा गया कि सम्पत्तियों को विक्रय अथवा नीलामी हेतु नहीं रखा गया यद्यपि अपेक्स कमटी द्वारा सम्पत्तियों के निस्तारण करने का अनुमोदन कर दिया गया था। परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व 19.84 करोड़ रुपये की अवसूली रही जैसा कि

नीचे उल्लेखित हैः

- अजमेर में, अपेक्स कमेटी द्वारा दिसम्बर 2004 में एक सम्पत्ति (सं0 129, रामगंज) को बेचने के लिए अनुमोदित किया गया। सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य 13.08 लाख रुपये निश्चित था। मार्च 2008 तक सम्पत्ति को नीलाम नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति अनिस्तारित रही तथा 13.08 लाख रुपये की अवसूली रही।

- नवम्बर 1991 में अपेक्स कमेटी ने बांदीकुई (दौसा) में स्थित 19.35 करोड़ रुपये मूल्य की 131 दुकानों को काबिजों को बेचने का निर्णय किया। लेखा परीक्षा को दृष्टिगत हुआ कि अप्रेल 2008 तक दुकानों को नहीं बेचा गया, यद्यपि कब्जेधारी उनकी खरीद के लिए लगातार आवेदन कर रहे थे।

- अप्रेल 2003 में अपेक्स कमेटी द्वारा राजगढ़ (अलवर) की 47 दुकानों को विक्रय के लिए अनुमोदित किया गया था। कमेटी ने यह भी निर्देश दिया कि नगरपालिका मंडल राजगढ़ से ब्याज सहित किराये की वसूली की जाये क्योंकि इसे सम्पत्ति पर काबिज लोगो द्वारा मण्डल में जमा कराया गया था। लेखापरीक्षा को दृष्टिगत हुआ कि सम्पत्तियों का, तथापि, न तो निस्तारण किया गया न ही नगरपालिका मंडल से राशि की वसूली की गई (अप्रेल 2008)। परिणामस्वरूप केवल जमीन की कीमत के कम से कम 36.25 लाख रुपये की अवसूली रही।

इस ओर ध्यान दिलाने के पश्चात् विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया। सम्पत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही की अग्रिम प्रगति लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई।

समितियों की बैठके आयोजित करने के मानदंड निश्चित करने तथा इन समितियों के द्वारा लिये गए निर्णयों की पालना को मानिटर करने हेतु एक विवरणी के निर्धारण करने पर सरकार विचार करे।

अनुपालना में कमियां

7.2.11 सम्पदा/अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग नही होना

सम्पदा निदेशक को विभिन्न न्यायालयों में नजूल सम्पत्तियों से सम्बन्धित लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग करनी थी एवम् निर्णित प्रकरणों में अनुगामी कार्यवाही भी प्रभावी तरीके से करनी थी।

विभिन्न न्यायालयों में नजूल सम्पत्तियों से संबंधित लंबित प्रकरणों की कुल संख्या का विवरण सम्पदा निदेशालय में उपलब्ध नहीं था। सम्पदा निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पंजिका भी संधारित नहीं की गई थी। तथापि, जयपुर में यह ज्ञात हुआ कि

31 मार्च 2007 को 168 प्रकरण निम्न उल्लेखानुसार लंबित थे:

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरणों की संख्या
1.	उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ	44
2.	जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर	59
3.	सम्पदा न्यायालय, जयपुर	65
योग		**168**

आगे 41 प्रकरणों में, अगस्त 1960 से फरवरी 2004 के मध्य विभिन्न न्यायालयों ने सम्पत्तियों से अतिक्रमियों को बेदखल करने तथा बकाया की वसूली के आदेश दिये, किन्तु कोई भी अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई। 32 सम्पत्तियों का मूल्य 24.29 करोड़ रुपये संगणित किया गया एवम् नौ प्रकरणों में विभाग द्वारा विवरण प्रेषित नहीं किया गया। इस तरह, समस्त 41 सम्पत्तियों का मूल्य लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

7.2.12 राजकीय विभागों द्वारा काबिज सम्पत्तियों का अनियमन

नियमों के नियम 19 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार के विभागों के कब्जे की नजूल सम्पत्तियाँ उन्हें बिना लागत के हस्तांतरित करनी थी अथवा वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराते हुए नीलाम की जानी थी। स्वायत्तशाषी निकायों/केन्द्र सरकार के विभागों के कब्जे वाली सम्पत्तियाँ सा.नि.वि. की दरों पर गणना कर वर्तमान बाजार मूल्य पर उन्हें हस्तांतरित की जानी थी। नजूल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उचित मूल्य का निर्धारण सा.नि.वि. द्वारा किया जाना था। किराये के भुगतान न करने की स्थिति में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी प्रभार्य किया जाना था।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि राज्य सरकार के विभागों के कब्जे की 824 नजूल सम्पत्तियों को, इन सम्पत्तियों का भविष्य अनिश्चितता में छोड़ते हुए, न तो उनके पक्ष में हस्तांतरित की गई न ही इन्हें निस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के कार्यालयों/स्वायत्तशाषी निकायों इत्यादि के कब्जे की 117 नजूल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, न तो इन सम्पत्तियों से कोई किराया वसूल किया गया न हीं इन्हें प्रावधानों के अनुसरण में निस्तारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप इन सम्पत्तियों के अनिस्तारित रहने के अतिरिक्त, 14.84 करोड़ रुपये मूल्य की 99 सम्पत्तियों से 9.41 करोड़ रुपये के किराये व ब्याज की अवसूली (2002-03 से 2006-07) रही।

इस ओर ध्यान दिलाने के पश्चात्, जुलाई 2008 में सम्पदा निदेशक ने बताया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु सभी जिला कलक्टरों को निर्देशित कर दिया गया।

7.2.13 सम्पदा निदेशक द्वारा सम्पत्तियों का अनिस्तारण

जयपुर जिले में स्थित नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु सम्पदा निदेशक उत्तरदायी था। नियमों के नियम 19 में प्रावधान था कि किरायेदारों के कब्जे की सम्पत्तियां जिनमें किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा था, सौदेबाजी द्वारा वर्तमान बाजार मूल्य पर

निस्तारित की जानी चाहिये थी। सौदेबाजी के विफल रहने की स्थिति में सम्पत्तियों को रिक्त करवा कर सार्वजनिक नीलामी के द्वारा निस्तारित करना था।

सम्पदा निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जयपुर में, 31 मार्च 2007 को 299 सम्पत्तियां किरायेदारों के कब्जे में थी। विभाग के स्तर पर इनके निस्तारण में कार्यवाही का अभाव दर्शाने वाले कुछ मामले नीचे उल्लिखित हैः

7.2.13.1 एक दोषी किरायेदार के कब्जे में 22.22 लाख रुपये मूल्य की एक सम्पत्ति (पी-48, चौकड़ी हवाली शहर, जयपुर) थी, जिसने इसे 1998 में एक अन्य पक्ष को सबलेट कर दिया। अगस्त 2005 में अतिक्रमी ने सम्पति को क्रय करने हेतु निवेदन किया परन्तु सम्पदा निदेशक ने सम्पत्ति निस्तारण हेतु अथवा सम्पति पर काबिज होने व उपयोग करने के लिए अतिक्रमी से किराये की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणास्वरूप, इसके निस्तारण में विफल रहने के अतिरिक्त, किराये, ब्याज व सरचार्ज की राशि 18.80 लाख रुपये की अवसूली रही।

7.2.13.2 सरकार ने 22,788.58 वर्गमीटर माप के एक भूखण्ड (पी-32, फूस का बंगला, स्टेशन रोड, जयपुर) का विक्रय ज.वि.प्रा. के द्वारा कराने का निर्णय किया। ज.वि.प्रा. द्वारा 3,282.64 वर्गमीटर भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए भूमि का विकास करना, आरक्षित मूल्य निश्चित करना एवं इसका त्वरित निस्तारण भी करना था। यह देखा गया कि ज.वि.प्रा. द्वारा नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी भूमि को अतिक्रमणों से खाली नहीं कराया गया। निदेशालय में अभिलेखों पर यह इंगित करने को कुछ भी नहीं था कि ज.वि.प्रा. ने सम्पत्ति के विक्रय/नीलामी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शुरू की थी। इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य के 115.30 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

अगस्त 2007 में यह ध्यान में लाने के पश्चात् जुलाई 2008 में सम्पदा निदेशक ने बताया कि ज.वि.प्रा. के साथ 7 जुलाई 2008 को एक बैठक सम्पन्न होगी, तथापि इसके परिणाम सूचित नहीं किये गए।

7.2.13.3 मार्च 2001 में 3,370.51 वर्गमीटर माप की एक आवासीय सम्पत्ति (पी-5, पार्क हाऊस, जयपुर) भूमि के विकास एवं सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण हेतु ज.वि.प्रा.को सौंपी गई। तथापि, ज.वि.प्रा. ने भू उपयोग परिवर्तन वाणिज्यिक करवाने के पश्चात् 353.76 वर्गमीटर भूमि एक पहले से बने हुए मंदिर के लिए तथा 688.05 वर्गमीटर भूमि सड़क चौड़ी करने हेतु छोड़ते हुए केवल 2328.7 वर्गमीटर क्षेत्र नीलामी हेतु रखा। ज.वि.प्रा. ने मार्च 2005 में अर्थात् विकसित होने की तिथि से 3 वर्ष के विलम्ब से, 696 वर्गमीटर एवं 735 वर्गमीटर माप के केवल दो भूखण्ड नीलाम किये। अवशेष 897.70 वर्गमीटर भूमि अभी तक (अप्रेल 2008) भी नीलाम नहीं की गई। परिणामतः राशि 8.89 करोड़ रुपये की अवसूली रही।

आगे यह भी ज्ञात हुआ कि ज.वि.प्रा. को इस भूमि को सौंपने के समय 73.50 वर्गमीटर भूमि एक मंदिर के अतिक्रमण में थी। विकास के दौरान, ज.वि.प्रा. ने मंदिर के लिए 353.76 वर्गमीटर भूमि सम्पदा निदेशक की सहमति अथवा अनुमोदन के बिना ही मंदिर के लिए छोड़ दी। इस प्रकार, 280.26 वर्गमीटर माप की अतिरिक्त भूमि की कीमत 2.77 करोड़ रुपये से सरकार वंचित रही।

यह ध्यान में लाने के पश्चात्, सम्पदा निदेशक ने जुलाई 2008 में तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि मंदिर के लिए अतिरिक्त जमीन छोड़ने के कारणों को ज.वि.प्रा. से पूछे गए थे।

7.2.13.4 दो दुकानें (पी-23 एवं 24, चौकड़ी हवाली शहर, स्टेशन रोड, जयपुर) वर्ष 1955 से किराये पर दी हुई थी। 1997 में काबिज द्वारा सम्पत्ति क्रय करने हेतु निवेदन किया गया। सम्पदा निदेशालय से डेढ़ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए 1998 एवं 1999 में नोटिस जारी किये परन्तु दुकानों के बन्द होने के कारण ये अवितिरत लौट आये । इसके पश्चात्, विभाग द्वारा 1998 से 2000 के मध्य लगातार सा.नि.वि. खंड से दुकानों का कब्जा लेने हेतु निवेदन किया गया। किन्तु सा.नि.वि. द्वारा सम्पत्तियों का कब्जा नहीं लिया गया, यद्यपि नियमों में यह उल्लेख है कि सा.नि.वि. सम्पत्तियों को खाली कराने के लिए उत्तरदायी होगा। सम्पदा निदेशालय ने पुनः जून 2005 में अतिक्रमी से इन दुकानों के क्रय के लिए सम्पर्क किया। इसके उत्तर में अतिक्रमी ने क्रय करने के लिए आवेदन किया किन्तु सम्पदा निदेशालय ने सम्पत्ति का मूल्यांकन सूचित नहीं किया एवं यह मार्च 2008 तक अनिस्तारित रही। इस प्रकार 76.38 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति न तो निस्तारित की गई न ही मार्च 2007 तक किराये व ब्याज की बकाया देयता राशि 33.83 लाख रुपये की वसूली की गई।

7.2.13.5 फरवरी 1967 में, 836 वर्गमीटर माप की एक सम्पत्ति (पी-41, चौकड़ी हवाली शहर, जयपुर), गरीब व मध्यम वर्ग की महिलाओं को रियायती दरों पर शुल्क प्रभारित करते हुए सिलाई, बुनाई, कसीदाकारी आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक निजी संस्थान (किरायेदार) को एक रुपये प्रतिमाह नाम मात्र के शुल्क पर आवंटित की गई थी। दिनांक 14 अप्रेल 1977 को निष्पादित किराया विलेख में उल्लेख था कि किरायेदार किराया अग्रिम में देगा, सम्पत्ति के साथ लगे बगीचे का संधारण करेगा, सम्पदा निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किराये पर दी गई सम्पत्ति में स्थापना/निर्माण या बढ़ोतरी नहीं करेगा तथा सम्पत्ति का उपयोग अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा। सम्पदा निदेशालय ने, तथापि, जून 2004 में पाया गया कि विभिन्न सर्टिफिकेट व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों कोर्सेस का संचालन करते हुए किरायेदार वाणिज्यिक आधार पर कार्य कर रहा था तथा विभाग की बिना अनुमति के एक भवन की अनाधिकृत स्थापना भी कर ली थी। विभाग ने किरायेदारी निरस्त करने हेतु जून 2004 में कारण बताओं नोटिस जारी किया। उसके पश्चात् न तो सम्पत्ति खाली कराई गई न ही संशोधित किराया निश्चित किया गया । इसके फलस्वरूप 9.20 करोड़ रुपये (सम्पत्ति के मूल्य) की अवसूली एवं अप्रेल 2002 से मार्च 2007 की अवधि के लिए किराये व ब्याज के 2.65 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2008 में बताया कि किरायेदार को सम्पत्ति खाली करने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया।

7.2.13.6 सम्पत्ति (पी-43 स्टेशन रोड, जयपुर) के 2,869.19 वर्ग मीटर माप के एक भाग को वर्ष 1966-67 के दौरान किराये पर पूर्व के राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.म.) को दिया गया था। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि रा.रा.वि.म. ने 1972 के बाद से बढ़ा हुआ किराया एवं उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके फलस्वरूप राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (रा.रा.वि.प्र.नि.लि.), रा.रा.वि.म. की उत्तराधिकारी कम्पनी के विरूद्ध 12.28 करोड़ रुपये की देयता इकट्ठी

हो गई। सम्पदा निदेशालय, वर्तमान में 23.51 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति को रा.रा.वि.प्र.नि.लि. से खाली कराने एवं किराये व ब्याज की बकाया राशि 12.28 करोड़ रुपये की वसूली में विफल रहा।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2008 में अवगत कराया कि सम्पत्ति के विक्रय की स्वीकृति जून 2008 में जारी कर दी गई।

7.2.14 जिला कलेक्टरों द्वारा सम्पत्तियों का अनिस्तारण

नियमों के नियम 19 में उल्लेख है कि नजूल सम्पत्तियों का शीघ्र निस्तारण किया जाना है। लेखापरीक्षा को ज्ञात हुआ कि:

7.2.14.1 मई 2006 में 14.77 करोड़ रुपये के मूल्यांकन की एक सम्पत्ति (न्यू तेज टाकीज, अलवर) को जिला कलेक्टर द्वारा शहरी विकास न्यास (यू.आई.टी.) अलवर को खुली नीलामी से निस्तारण हेतु स्थानान्तरित की गई।

यह ज्ञात हुआ कि यू.आई.टी. अलवर द्वारा निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई (अप्रेल 2008) ।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने अवगत कराया कि मामला जिला कलेक्टर, अलवर को उनकी टिप्पणी हेतु प्रेषित कर दिया गया।

7.2.14.2 नजूल भूमि के 10,284.36 वर्गमीटर माप के दो भूखण्ड निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के पास स्थित थे। सम्पदा निदेशक द्वारा मार्च 2000 में स्थान का निरीक्षण किया गया और पाया कि नगर निगम, दिल्ली ने 7.28 करोड़ रुपये की 1,521.16 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। तथापि, भूमि को खाली कराने अथवा भूमि की कीमत वसूलने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जनवरी 2008 में स्वीकार किया कि इस सम्बन्ध में उस समय तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

7.2.15 सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन

नियमों के नियम 12(1) में उल्लेख है कि यदि नजूल सम्पत्ति का कोई क्रेता 15 दिवस में राशि का भुगतान नहीं करता है तो खुली नीलामी द्वारा सम्पत्ति का निस्तारण करना चाहिए।

अपेक्स कमेटी ने 30 जनवरी 2004 को सम्पत्ति (पी-1 कॉफी हाउस, जयपुर) के एक भाग को एक लिमिटेड कम्पनी (किरायेदार) को समान 10 त्रैमासिक किश्तों पर भुगतान करने पर 47.70 लाख रुपये की कीमत पर विक्रय करने का निर्णय लिया। किरायेदार ने प्रथम किश्त का भुगतान 2 वर्ष 3 माह विलम्ब से किया। इसके मध्य, सम्पत्ति के मूल्यांकन की दरों में 24 अप्रेल 2006 से सरकार द्वारा वृद्धि कर दी गई। संशोधित दरों के अनुसार सम्पत्ति के मूल्यांकन की गणना 1.06 करोड़ रुपये पर की गई। तथापि, विभाग ने सम्पत्ति का मूल्यांकन संशोधित नहीं किया। इस प्रकार, सम्पदा निदेशक की शिथिलता के परिणामस्वरूप सरकार को 58.81 लाख रुपयों की हानि हुई। आगे,

किरायेदार ने प्रथम किश्त मई 2006 में चुकायी परन्तु सम्पदा निदेशक ने विक्रय को निरस्त नहीं किया।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2008 में अवगत कराया कि अन्तर राशि की मांग कायम कर दी गई थी।

7.2.16 उपसंहार

नजूल सम्पत्तियाँ सरकार की अति मूल्यवान परिसम्पत्तियां हैं, जो कि अतिक्रमण व दुरूपयोग के लिए सबसे अधिक भेद्य है। तथापि, यह देखा गया कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा इस कार्य को निम्न प्राथमिकता प्रदान की गई, जिसमें भी प्रभावी परिणामों के लिए उनके मध्य समन्वय का अभाव रहा। सम्पत्तियों की स्थिति और संख्या के सम्बन्ध में निदेशालय के पास उपलब्ध डाटाबेस सही नहीं था एवम् जिलों के अभिलेखों में बड़ी संख्या में विसंगतियां पाई गई। आवधिक सर्वेक्षण करने के लिए सम्पदा निदेशक के पास कोई पद्धति नहीं थी। प्राधिकारियों की जानकारी के बिना ही सम्पत्तियां हस्तांतरित, सबलेट और अतिक्रमित की जा रही थी। चूंकि नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, इन सम्पत्तियों की कीमत अवरूद्ध रही। सम्बन्धित प्राधिकारियों की अपर्याप्त मॉनिटरिंग के कारण अनाधिकृत कब्जे पर नियन्त्रण का अभाव रहा। नजूल सम्पत्तियों के मूल्य के नियमित अद्यतन करने की प्रभावी प्रक्रिया एवम् समय पर किराये के संशोधन/वसूली के अभाव में बकायाओं की वसूली में अनियन्त्रित दोष था। यह देखा गया कि कोई जवाबदेही व्यवस्था नहीं होने से प्रणाली विफल रही।

7.2.17 सिफारिशों का सार

सरकार:

- सभी नजूल सम्पत्तियों को सम्मिलित करने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रणाली/प्रक्रिया बनाने पर विचार करे;
- नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण एवम् समुचित प्रबन्धन के लिए उचित विवरणियाँ निर्धारित करे;
- एक मांग व संग्रहण पंजिका के संधारण और बकाया राशियों की मांग कायम करने की प्रणाली को विकसित करने पर विचार करें;
- नजूल सम्पत्तियों को आगे अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इनके निस्तारण के लिए समय सीमा निश्चित करें; और
- समितियों द्वारा बैठकों के आयोजन के लिए मानदण्ड एवं इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की पालना को मॉनिटर करने हेतु एक विवरणी निर्धारित करने पर विचार करें।

ब. खान एवं भू-विज्ञान विभाग

7.3 बिना रवन्ना[4] के संप्रेषित खनिज की लागत की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (आर.एम.एम.सी.) नियम 1986, के नियम 18 (9) (ग) के अनुसार, पट्टेदार अथवा कोई अन्य व्यक्ति बिना रवन्ना, जो कि खनन विभाग द्वारा विधिवत मुद्रांकित होती है, खदान तथा खान से खनिज को पृथक या उपयोग नहीं करेगा। आर.एम.एम.सी. नियम, 1986, के नियम 37 (2) के अन्तर्गत निष्पादित अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा (ई.आर.सी.सी.)[5] के इकरारनामें के अनुसार, ठेकेदार केवल ऐसे वाहनों से ही राशि संग्रहण करेगा जिनके पास पट्टेदार द्वारा जारी मान्य रवन्ना हो। बिना रवन्ना के खनिज ले जाने वाले वाहनों के मामलें में, ठेकेदार ऐसे वाहनों को खनि अभियन्ता (ख.अ.)/ सहायक खनि अभियन्ता (स.ख.अ.), जिसके पास इसे अनाधिकृत निकासी मानते हुए प्रचलित दरों पर देय अधिशुल्क के 10 गुणा वसूली का अधिकार हो, को सुपुर्द करेगा।

ख.अ., भीलवाड़ा के अभिलेखों की फरवरी 2007 में की गई संवीक्षा से प्रकट हुआ कि तहसील भीलवाड़ा के खनन पट्टों के लिए खनिज राजगीरी पत्थर का ई.आर.सी.सी. अप्रेल 2004 से मार्च 2006 की अवधि हेतु 64.78 लाख रुपये की वार्षिक संविदा राशि पर एक ठेकेदार को मार्च 2004 में दिया गया। संविदा राशि 25 मार्च 2004 से 1.04 करोड़ रुपये संशोधित की गई थी। संविदा 23 सितम्बर 2005 को निरस्त की गयी क्योंकि ठेकेदार ने इकरारनामों के निबन्धन एवं शर्तो का उल्लंघन किया था। संविदा अवधि के दौरान, ठेकेदार ने बिना रवन्नाओं के खनिज ले जाने वाले 2,85,601 वाहनों से अधिक अधिशुल्क का संग्रहण किया। इन वाहनों को विभाग को सुपुर्द करने के स्थान पर, ठेकेदार ने प्रत्येक वाहन से 50 रुपये का संग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप सरकार को 13.71 करोड़ रुपये[6] के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण मार्च 2007 में ध्यान में लाने के पश्चात् विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा 13.71 करोड़ रुपये की मांग कायम की । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008) ।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2008); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008) ।

[4] खानों से खनिज निर्गमन या पृथक करने के लिए डिलीवरी चालान ।

[5] निर्दिष्ट खनिज एवं क्षेत्र के लिए वार्षिक स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क का संग्रहण करने के लिए दी गई एक संविदा ।

[6] 6 मैट्रिक टन राजगीरी पत्थर वाले 2,85,601 वाहनों के लिए अधिशुल्क 8 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर का 10 गुणा।

7.4 अधिशुल्क की मांग कायम न करना

अप्रेल 2000 में जारी सरकार के निर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संप्रेषित खनिज के सम्बन्ध में अधिशुल्क की मासिक आधार पर गणना, मांग कायमी तथा इसकी वसूली के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करना आवश्यक था।

अजमेर में, अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान मई 2007 में प्रकट हुआ कि 10 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में खनिज लाईमस्टोन (सीमेण्ट ग्रेड) के लिए एक खनन पट्टा अगस्त 1998 से अगस्त 2018 की अवधि के लिए एक कम्पनी (पट्टेदार) के पक्ष में स्वीकृत था। 28 अगस्त 2002 से आगे का अधिशुल्क का निर्धारण नहीं किया यद्यपि पट्टेदार ने 28 अगस्त 2002 से 31 मार्च 2007 की अवधि के दौरान 69,07,122.98 मैट्रिक टन लाईम स्टोन संप्रेषित किया जिस पर 29.30 करोड़ रुपये अधिशुल्क देय था। मांग एवं संग्रहण पंजिका के अनुसार, पट्टेदार ने 31 मार्च 2007 तक 21.53 करोड़ रुपये जमा करायें परन्तु शेष 7.77 करोड़ रुपये के अधिशुल्क के लिए न तो मांग कायम की गयी और न ही वसूल की गयी।

प्रकरण को ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने बताया (सितम्बर 2008) कि लगभग 8 करोड़ रुपये की मांग जिसे पूर्व में समायोजित कर दी गयी थी, स्थगन आदि के कारण वसूलनीय नहीं थी एवं आगे बताया कि यदि इस राशि को ध्यान में रखा जावें तो कोई मांग वसूलनीय नहीं रहती। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूर्व की मांगों पर दिये गये स्थगन, मांग पंजिका में मांगों के समायोजन के पश्चात् जारी किये गये थे। आगे, आक्षेप में उल्लेखित अवधि के अधिशुल्क का निर्धारण भी विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

7.5 ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत उत्खनन

आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 63 में प्रावधान है कि निर्माण ठेकेदारों द्वारा उनके निर्माण कार्यो में उपयोग लिए जाने वाले खनिजों के लिए, संबंधित ख.अ./स.ख.अ. से अग्रिम में अल्पावधि अनुमतिपत्र (एस.टी.पी.) प्राप्त करना होगा। यदि अनुमति पत्र धारक ने एस.टी.पी. में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में उत्खनन किया है एवं ले गया है तो अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनित एवं हटायी गई समस्त मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जावेगा तथा अनुमतिपत्र धारक ऐसे अधिक उत्खनित एवं हटाये गये खनिज की कीमत भुगतान करने का दायी होगा जो कि आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 48 के अन्तर्गत निर्धारित प्रचलित दरों पर अधिशुल्क का 10 गुणा होगा।

स.ख.अ., झालावाड़, डूंगरपूर, ख.अ. राजसमन्द-I तथा भीलवाड़ा के अभिलेखों की जून 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ठेकेदारों ने या तो बिना एस.टी.पी. के या एस.टी.पी. में अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन/उपभोग किया। खनिज की मूल्य राशि 3.42 करोड़ रुपये, यद्यपि, वसूली योग्य

थी जो नीचे दर्शाये अनुसार वसूल नहीं की गयी:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम (निर्माणों की संख्या)	खनिज	उपयोग की मात्रा (मै.टन) अनुमत्य (मै.टन)	अधिक उपयोग की गयी मात्रा (मै.टन)	खनिज का मूल्य (रुपये/ मै.टन)	अधिक मात्रा पर वसूल की गई राशि रुपये 1.50 प्रति मै.टन की दर से	शुद्ध वसूली योग्य कीमत (लाख रुपयों में)
1.	स.ख.अ. झालावाड़ (3)	सैण्ड/ मिट्टी	7,82,720.56 शून्य	7,82,720.56	15	-	117.41
		सैण्ड/ मिट्टी	6,28,874.89 शून्य	6,28,874.89	15	-	94.33
		सैण्ड/ मिट्टी	5,28,392.20 42,000	4,86,392.20	15	-	72.96
							284.70
टिप्पणी: खनिज या तो बिना एस.टी.पी. प्राप्त किए या अनुमत्य मात्रा से अधिक अनाधिकृत रूप से हटाये गये थे। प्रकरण ध्यान में लाने के पश्चात्, सरकार ने अगस्त 2008 में बताया कि कीमत की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे।							
2.	स.ख.अ. डूंगरपुर (1)	सैण्ड	5,16,177 3,00,000	2,16,177	15	3.24	**29.18**
टिप्पणी: प्रकरण ध्यान में लाने के पश्चात्, सरकार ने सितम्बर 2008 में बताया कि 29.18 लाख रुपये की वसूली से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।							
3.	ख.अ., राजसमन्द - I (1)	साधारण मिट्टी	1,15,730 18,620	97,110	15	1.46	13.11
		सैण्ड/बजरी	3,882 3,765	117	80	0.01	0.08
						1.47	**13.19**
टिप्पणी: प्रकरण ध्यान में लाने के पश्चात्, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया(सितम्बर 2008) कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है।							
4.	ख.अ., भीलवाड़ा (2)	साधारण मिट्टी	49,386.70 शून्य	49,386.70	15	-	7.41
		साधारण मिट्टी	49,758.49 शून्य	49,758.49	15		7.46
							14.87
टिप्पणी: प्रकरण ध्यान में लाने के पश्चात्, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा 14.87 लाख रुपये की मांग कायम की। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)। प्रकरण अप्रेल 2008 में सरकार के ध्यान में लाया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।							
		योग					**341.94**

7.6 प्रीमियम प्रभारों की अवसूली

सरकार ने अप्रेल 2005 में श्रीगंगानगर जिले में जिप्सम के उत्खनन/संप्रेषण के लिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) को 13 क्षेत्रों के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। अभिकर्ता के लिए प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिमाह 2,000 टन की न्यूनतम मात्रा में जिप्सम का उत्पादन एवं संप्रेषण किया जाना अपेक्षित

था, जिसमें असफल होने पर अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिमाह न्यूनतम प्रीमियम प्रभार 40,000 रुपये संबंधित ख.अ./स.ख.अ. को देय थे।

अगस्त 2007 में स.ख.अ. श्रीगंगानगर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, प्रकट हुआ कि मई 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए अभिकर्ता कम्पनी उनको आवंटित क्षेत्रों में प्रत्येक माह अपेक्षित न्यूनतम मात्रा 2,000 टन जिप्सम का उत्पादन एवं संप्रेषण करने में असफल रही। इस प्रकार, न्यूनतम प्रीमियम प्रभार के 80.80 लाख रुपये की मांग देय हुई परन्तु विभाग द्वारा न तो मांग कायमी की गई और न ही वसूली की गई।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने बताया (जुलाई 2008) कि 2.38 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है एवं आगे की वसूली की प्रगति से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जावेगा।

प्रकरण मार्च 2008 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

7.7 अनियमित वापसी

राजस्थान सरकार, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, के मैन्युअल के अध्याय-XI के अनुच्छेद संख्या XV के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित ख.अ., अपने अभिलेखों की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात्, राजस्व की वापसियों के प्रकरण, आवेदक से देय राशि को स्पष्टतया प्रदर्शित करते हुए, निदेशक खान एवं भू-विज्ञान को अग्रेषित करेगा।

वर्ष 2006-07 के लिए ख.अ. बीकानेर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि शासकीय आदेश दिनांक 30 मार्च 2007 के अनुसरण में 30 मार्च 2007 को आर.एस.एम.एम.एल. को विकास प्रभार के 11.05 करोड़ रुपये वापिस किए। तथापि, ख.अ. अभियन्ता की पुस्तिकाओं में, पूर्व के वर्षो से संबंधित, 6 पट्टों के सम्बन्ध में आर.एस.एम.एम.एल. के विरूद्ध बकाया राशि 80.10 लाख रुपये तथा उस पर ब्याज की, उससे वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 80.10 लाख रुपये की अवसूली रही।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने लेखापरीक्षा कथन को स्वीकार करते हुए जुलाई 2008 में बताया कि 80.10 लाख रुपये की मांग कायम कर दी गई तथा आर.एस.एम.एम.एल. को बकाया जमा कराने के निर्देश दे दिये गये। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

मामला सरकार को सूचित (मार्च 2008) किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

7.8 विकास प्रभारों की मांग कायम न करना

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के मैन्यूअल में प्रावधान है कि अधिशुल्क, स्थिर भाटक, शास्ती इत्यादि से संबंधित सभी मांगों को अनुसरण एवं वसूली पर ध्यान रखने के लिए मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में दर्ज करनी चाहिए।

फरवरी 2008 में स.ख.अ. बाड़मेर के अभिलेखों की संवीक्षा में यह प्रकट हुआ कि वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए पट्टेदार के कर निर्धारण 3 मार्च 2005 तथा 26 फरवरी 2007 को किए थे। पट्टेधारी के विरूद्ध विकास शुल्क की 95.64 लाख रुपये की मांग कायम नहीं की गई। पट्टेदार ने विकास शुल्क की राशि 28.76 लाख रुपये अग्रिम में भुगतान की थी। मांग कायम न करने के कारण राशि 66.88 लाख रुपये बिना वसूली तथा बिना लेखा-जोखा के रही।

प्रकरण ध्यान में लाने के पश्चात्, विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि 66.88 लाख रुपये की मांग फरवरी 2008 में कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई(अक्टूबर 2008)।

मामला सरकार के ध्यान में अप्रेल 2008 में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008)।

7.9 नियमों में कमियों के कारण राजस्व की हानि

आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 63 के सपठित शासकीय आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2001 में प्रावधान है कि निर्माण ठेकेदारों को उनके कार्यो में उपयोग लिए जाने वाले खनिजों के लिए संबंधित ख.अ./स.ख.अ. से अग्रिम में एस.टी.पी. प्राप्त करना होगा। यदि एक अनुमतिपत्र धारक ने अनुमतिपत्र में निर्दिष्ट समय के अन्दर अनुमतिपत्र में दी गई मात्रा से 10 प्रतिशत सीमा तक अधिक मात्रा में खनिज उत्खनित किया तथा ले गया है, तो अनुमितपत्र धारक से अधिक उत्खनित खनिज के लिए अधिशुल्क का केवल एकल प्रभार लिया जाएगा। यदि अनुमतिपत्र धारक ने एस.टी.पी. में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में उत्खनन किया एवं ले गया है तो अनुमतिपत्र में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनित एवं हटाई गई समस्त मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जावेगा तथा अनुमतिपत्र धारक ऐसे अधिक उत्खनित एवं हटाई गई खनिज की कीमत भुगतान करने का दायी होगा, जो कि आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 48 के द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों पर रायल्टी का 10 गुणा होगा। तथापि, अनुमतिपत्र में स्वीकृत मात्रा से 10 से 25 प्रतिशत अधिक सीमा के मध्य उत्खनित एवं हटाई गई खनिज की लागत की वसूली के बारे में यह नियम मौन हैं।

दिसम्बर 2007 में ख.अ., चित्तोड़गढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि एक ठेकेदार को साधारण मिट्टी की कुल मात्रा 14,17,559 मै.टन (ख.अ. चित्तोड़गढ़ द्वारा 4,97,363 मै.टन तथा स.ख.अ. निम्बाहेड़ा द्वारा 9,20,196 मै.टन) के लिए एस.टी.पी. स्वीकृत की गई । ख.अ. चित्तोड़गढ़ द्वारा अगस्त 2006 में अंतिम रूप से दिये गये अधिशुल्क निर्धारण की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने अनुमत्य मात्रा से 23.51 प्रतिशत अधिक 3,33,317 मै.टन साधारण मिट्टी उत्खनित एवं उपयोग की। अनाधिकृत मात्रा अनुमत्य 10 प्रतिशत से अधिक होने पर भी कर निर्धारण अधिकारी ने अधिशुल्क साधारण दरों से निर्धारित किया। नियमों में कमी के कारण, सरकार 25.86 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रही जैसा नीचे उल्लेखित है:

कुल उपयोग की मात्रा (मै.टन)	अनुमत्य मात्रा (मै.टन)	अधिक उपयोग की मात्रा (मै. टन) / अनुमत्य मात्रा से अधिक का प्रतिशत	10 प्रतिशत से अधिक मात्रा (मै.टन)	खनिज की कीमत 15 रुपये प्रति मै.टन (1.5X10) से (लाख रुपयो मे)
17,50,876	14,17,559	3,33,317 / 23.51	1,91,561	28.73

वसूली योग्य खनिज की कीमत 28.73 लाख रुपये के विरूद्ध, कर निर्धारण अधिकारी ने 2.87 लाख रुपये आरोपित किये। जिसके परिणामस्वरूप 25.86 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण विभाग को जनवरी 2008 में ध्यान में लाया गया तथा सरकार को अप्रेल 2008 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2008)।

7.10 संविदा की अनियमित समाप्ति के कारण राजस्व की हानि

आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 37(2) के अन्तर्गत निष्पादित अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिए संविदा इकरारनामें की शर्त 9 के अनुसार, संविदा के निबन्धनों एवं शर्तों के सम्यक अनुपालन में चूक की दशा में संविदा सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त की जावेगी।

अगस्त 2007 में ख.अ., कोटा के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि खनिज चिनाई/सैण्ड स्टोन के लिए एक ठेकेदार को अप्रेल 2006 से मार्च 2008 तक दो वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक संविदा राशि 65 लाख रुपये पर एक ई.आर.सी.सी. स्वीकृत की गई। 9 सितम्बर 2006 को जारी एक नोटिस में सूचित की गई कमियों की अनुपालना नहीं करने के कारण ख.अ. द्वारा 14 दिसम्बर 2006 को संविदा समाप्त कर दी गयी। तथापि, संवेदक को नोटिस तामील नहीं होने के आधार पर संविदा की समाप्ति के आदेश को न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) ने, 19 फरवरी 2007 को रद्द कर दिया तथा संविदा 23 फरवरी 2007 को पुनर्जीवित हुई। विभाग, तथापि, संविदा राशि के आधार पर मध्यवर्ती अवधि के लिए संगणित 12.47 लाख रुपये के विरूद्ध केवल 6.87 लाख रुपये अधिक अधिशुल्क एकत्रित कर सका। इस प्रकार बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये संविदा की समाप्ति के फलस्वरूप 5.60 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने बताया (सितम्बर 2008) कि जांच के उपरान्त जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

7.11 अनुमति शुल्क की कम वसूली

आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 63(1) में प्रावधान है कि ख.अ./स.ख.अ. नियम 63 के उप-नियम (4) में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति को एस.टी.पी. स्वीकृत करेगा। राज्य सरकार ने, 18 दिसम्बर 2004 को अधिसूचना जारी कर निर्धारित किया कि 500 टन से अधिक खनिज की एस.टी.पी. के लिए अनुमति शुल्क 200 रुपये की दर सहित प्रत्येक अतिरिक्त 100 टन या उसके भाग के लिए, 50 रुपये आरोपित किया जावेगा।

फरवरी 2008 में स.ख.अ., बाड़मेर के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मई तथा अगस्त 2005 के मध्य 17,220 मै.टन तथा 2,51,200 मै.टन के मध्य विभिन्न मात्राओं के लिए आरोपणीय शुल्क 5.35 लाख रुपये के स्थान पर 24,000 रुपये अनुमति शुल्क आरोपित करते हुए 10 एस.टी.पी. जारी की। इसके परिणामस्वरूप 5.11 लाख रुपये के अनुमति शुल्क की कम वसूली हुई।

मार्च 2008 में इसको ध्यान में लाने के पश्चात्, विभाग ने बताया (अगस्त 2008) की 5.11 लाख रुपये की मांग कायम करने के उपरान्त चार प्रकरणों में 2.16 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। शेष राशि के संबंध में वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2008)।

प्रकरण सरकार को अप्रेल 2008 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2008) ।

स. सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग

7.12 सरकारी खातों में राजस्व का जमा नहीं होना

सार्वजनिक निर्माण वित्त एवं लेखा (पी.डब्ल्यू.एफ.एण्ड ए.) नियमों के नियम 40 के अनुसार, संविधिक या इसको शासित करने वाले अन्य नियमों के अन्तर्गत देय होने के कारण राजस्व की वसूली की जाती है तथा राज्य की संचित निधि में जमा किया जाता है, परन्तु व्यय केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए विधान सभा द्वारा दत्तमत अनुदान अथवा राज्य के बजट प्रावधानों में प्रदान की गई राशि से किया जा सकेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू डी.) के 12 खण्डों के 2002-03 से 2006-07 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि रोड कट प्रभार के मद में प्राप्त 4.46 करोड़ रुपये राज्य लेखों में संबंधित लेखा शीर्ष के तहत जमा कराने के स्थान पर "8443-सिविल जमा-III" के अन्तर्गत उचंत शीर्ष - "सड़क एवं पुल" में जमा कराते हुए राज्य की संचित निधि से अनियमित रूप से बाहर रखें। आगे यह ज्ञात हुआ कि किसी बजट प्रावधान अथवा विधान सभा द्वारा दतमत्त अनुदान के बिना ऐसी प्राप्तियों से 2.34 करोड़ रुपये अनाधिकृत रूप से रोड कट की मरम्मत पर व्यय किए।

इसको ध्यान में लाने के बाद, सरकार ने बताया (अगस्त 2008) कि सड़कों, जो रोड कटस् के कारण क्षतिग्रस्त हुई, की मरम्मत हेतु निधियों के प्रावधान का अभाव होने के कारण, सड़कों की मरम्मत का कार्य रोड कट से प्राप्त राशियों से किया गया। इसलिये रोड कट प्रभारों को राजस्व मद में हस्तांतरित नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह पी.डब्ल्यू. एफ.एण्ड ए. नियमों के नियम 40 के प्रावधानों तथा राज्य द्वारा व्यय से संबंधित मूल संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है।

7.13 तीन वर्षो से अधिक अदावी जमाओं को राजकीय राजस्व में जमा नहीं कराना

पी.डब्ल्यू एफ एण्ड ए नियमों के नियम 601 में प्रावधान है कि "जमाएं" शीर्ष के तहत सभी शेष जो कि तीन वर्षो से अधिक समय से अदावी रहे हैं लेखों के राजस्व शीर्ष को व्यपगत जमाओं के रूप में जमा किये जाते हैं। पूर्वोक्त नियम 601 के नीचे दिया गया नोट 2, ऐसी जमाओं/शेषों को सरकारी खातों को जमा कराने के उद्देश्य के लिए अदावी जमाएं मानने से मना करता है जो कि मुकदमा अथवा समझोतों के अन्तर्गत है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 1979 से मार्च 2004 की अवधि के मध्य ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रतिभूति जमाओं के 1.56 करोड़ रुपये तीन वर्षो से अधिक अदावी रहे तथा राजस्व लेखे में जमा नहीं कराया गया जैसा नीचे उल्लेखित है:

क्र. सं	विभाग का नाम	खण्डों की संख्या	जमा की राशि (करोड़ रुपयों में)
1	सार्वजनिक निर्माण विभाग	16	0.97
2	जल संसाधन विभाग	4	0.59
योग		**20**	**1.56**

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने बताया (अगस्त 2008) कि राशि 23.60 लाख रुपये एवं 40 लाख रुपये जो कि क्रमशः सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित है राजस्व में हस्तांतरित कर दिया गया है (अक्टूबर 2008)।

मीनाक्षी मिश्रा

जयपुर
दिनांक 21 Jan. 2009 जनवरी

(मीनाक्षी मिश्रा)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 Jan. 2009 जनवरी

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-अ
(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.13)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये एवं जन लेखा समिति में चर्चा हेतु 30 सितम्बर 2008 को बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

कर का नाम		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	15	7	6	14	11	53
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	14	11	25
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	7	3	8	6	6	30
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	8	6	6	20
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	2	2	4	2	1	11
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	4	2	1	7
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	4	3	3	3	14
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	3	3	6
राज्य आबकारी शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	5	3	4	2	5	19
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	2	5	7
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	3	5	-	-	-	8
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	-	-	-	5
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	8	5	1	9	9	32
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	1	9	9	24
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	2	1	3	6	16
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	2	-	3	6	12
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	**45**	**31**	**27**	**39**	**41**	**183**
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	**1**	**12**	**13**	**39**	**41**	**106**

परिशिष्ट-ब

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.13)

30 सितम्बर 2008 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	119 वां प्रतिवेदन 1997-1998	27.7.2000	परिवहन	1994-95 एवं 1995-96	45
2.	210 वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	देवस्थान	1997-98	14
3.	216 वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	भू-राजस्व	1998-99	14
4.	217वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	बिक्री कर	1998-99	15
5	219वां प्रतिवेदन 2003-04	8.8.2003	सिंचाई	1998-99 एवं 2000-01	8
6.	75वां प्रतिवेदन 2004-05	16.7.2004	बिक्री कर	2000-01	4
7.	88वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	बिक्री कर	2001-02	3
8.	89वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	भू-राजस्व	2000-01	3
9.	98वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	राज्य आबकारी	2001-02	5
10.	116 वां प्रतिवदेन 2005-06	4.3.2006	भूमि भवन कर	2000-01 एवं 2001-02	8
11.	119 वां प्रतिवेदन 2005-06	4.3.2006	परिवहन	2000-01,	6
12.	138 वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2000-01	4
13.	139वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2001-02	5
14.	168 प्रतिवेदन 2006-07	4.10.2006	राज्य आबकारी	2002-03	15
15.	167वां प्रतिवेदन 2006-07	4.10.2006	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2003-04 एवं 2004-05	1
16.	187 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	राज्य आबकारी	2003-04 एवं 2004-05	7
17.	189 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भूमि भवन कर	1999-2000	6
18.	190 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भू राजस्व	1999-2000	12
19.	191 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	पंजीयन एवं मुद्रांक	2002-03	17
20.	193 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	ब्याज प्राप्ति एवं गारन्टी कमीशन	2002-03	12
21.	222 वां प्रतिवेदन 2007-08	20.9.2007	बिक्री कर	2002-03	10
22.	251 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2001-02	8
23.	252 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2002-03	10
24.	255 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	भू-राजस्व	2003-04	2
25.	260 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	बिक्री कर	2003-04	9
	योग				**243**